



ANNUAL REPORT (2018-2019)



DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST, DHANBAD







MESSAGE FROM DEPUTY COMMISSIONER CUM CHAIRPERSON, GOVERNING COUNCIL and MANAGEMENT COMMITTEE, DMFT DHANBAD

District Mineral Foundation (DMF) is a trust set up as a non-profit body, in those districts like Dhanbad that are affected by the mining works. This has been set up to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operations. It is funded through the royalty contributions from mining companies. It was mandated through the Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, (MMDRA) 2015. In this regard, DMF Trust Dhanbad was registered on 04/02 /2016 and is continuing to work for the developmental needs of people affected by various mining operations.

Further, DMFT Dhanbad is implementing Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY). The overall objective of PMKKKY scheme is to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas. In this manner, DMFT Dhanbad would attempt to minimize the adverse impacts of mining on directly and indirectly affected people of the district. Thus, it will work to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas of the coal capital of India.

DMFT has been pursuing these objectives in letter as well as spirit by working as per the needs of people affected by mining. A bottom-up approach has been adopted and Panchayati representatives have come forward with the proposals passed by Gram Sabhas in Governing Council meetings. Projects in drinking water, sanitation and hygiene, education, environment conservation & pollution control and infrastructure have been taken up in 2018-19 to achieve the mandate of DMF in mining areas of Dhanbad. In coming years, through need analysis and deeper participatory planning exercises, DMFT Dhanbad and the entire district administration will strive to mitigate the impact of mining operations on both directly affected and indirectly affected residents of Dhanbad.

Deputy Commissioner, Dhanbad





CONTENTS

Executive Summary	3
Overview of Dhanbad	4-5
Problem Areas	5-8
Background of DMFT	8-9
About PMKKKY	9-11
Annual Plan	11-12
Approach of Planning exercise	12
Composition of works	13
Implementation Progress	13
Project Formulation Process	13-14
Success Stories and Photographs	14-17
Way Forward	17-18

Annexures

Annexure I- Registration of DMFT Dhanbad

Annexure II- Detailed Plan 2018-19

Annexure III- Minutes of meeting of Governing Council and Management Committee

Annexure IV- List of block wise villages that fall under the category of directly mining affected areas





Executive summary

This report discusses the objectives, planning, schemes undertaken and the achievements by the implementation of District Mineral Foundation Trust Fund utilised in Dhanbad district.

The District Mineral Foundation (DMF) is a trust setup as a non-profit body established in those district s affected by mining works with an objective to work for the development of the people directly or indirectly affected by mining in the region. The trust is funded through the royalty fund collected by all the mining companies in the area.

DMF funds are treated as extra-budgetary resources for the State Plan. Efforts are made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the DMF can supplement the development and welfare activities already being carried out.

Further, the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) will be implemented by the DMF. The overall objective of PMKKKY scheme will be (a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas. These projects/programs will be complimenting the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government; (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and (c) to ensure long term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.





Overview of Dhanbad



Dhanbad has one of the oldest markets of region and is also a hotbed of large-scale industries. It is famous for its coal mines and industrial establishments; the city is surrounded by about 112 coal mines with a total production of 27.5 million tonnes and an annual income of 7000 million rupees through coal business. There are a number of coal washeries present there. BCCL have its headquarter in Dhanbad and SAIL, Tata Steel and Eastern Coalfields (at Mugma) also operates their mines. Om Besco Rail Products.Ltd, a public limited rail wagon manufacturing company at Mugma, Hindustan Zinc Ltd (now Vendanta Resources) had a lead smelting pilot plant at Tundu, Maithon Power.Ltda J.V of Tata Power & DVC (first PPP project of India), Hindusthan Malleables & Forgings Ltd,etc. are also operational in and around Dhanbad. Fertilizers Corporation of India (closed), Projects & Development India.Ltd and ACC.Ltd at Sindri are also available and being one of the 5 divisions of South Eastern Railway zone, Indian Railways is also a big employer in Dhanbad. Also, Kandra Industrial Area at Gobindpur houses some small & middle scale industries.

The district can be divided into three broad natural divisions, namely, (I) the north and north western portions consisting of the hilly region, (ii) the uplands containing coal mines and





most of the industries and (iii) the remaining uplands and plains lying to the south of the Damodar river consisting of cultivable flat lands. The north and north western division is separated for the entire length by the Grand trunk road.

In the western middle part of the district are the Dhangi hills, situated in the strip falling between the Grand trunk road in the north and the Grand chord line of the Eastern Railway. In the south, these hills extend from Pradhankhanta to Govindpur, reaching a maximum altitude of 1,256 feet at Dhangi. Further north, a branch of the Parasnath hill runs through Topchanchi and Tundi, the highest point of 1,500 feet being reached at Lalki. The southern part of the district is largely undulating land. The general slope is from west to east, the direction followed by the two major rivers, Damodar and Barakar. The climate of the district is characterised by general dryness. It is very pleasant during the cold weather from November to February. Thereafter the climate becomes warm. It remains hot until the monsoon breaks towards the middle of June. With the setting in of rains, the temperature falls, and humidity rises; July to October are the rainy months. July and August are the wettest months. The average rainfall during July is 287 mm and that in August 445 mm. The average annual rainfall in the district is approximately 1300 mm. In 2006 the Indian Government named Dhanbad one of the country's 250 most backward districts (out of a total of 640).

Problem areas

Drinking water

The residents of Dhanbad face acute water crises. Especially the settlements close to mining areas which do not have any conventional sources of drinking water such as borewells or wells are completely dependent on Maithan dam for water supply. To overcome the issue of drinking water supply water towers in the region are constructed also dry up in the summer leaving the situation pathetic in the area. Groundwater contamination with heavy metals released from mining activities is an environmental problem. The leachate generated from mine waste and overburden dumps may have the potential to pollute the surrounding water resources. It comprises overburden, run-of-mine rock as well as discard, slurry and tailings from the preparation/ beneficiation or extraction plants assessment of heavy metals contamination in soils using data on the total content of the individual heavy metals. In the process of mining, huge amounts of water is discharged on surface to facilitate the mining





operation. Groundwater is the principal source of drinking water in our country and once it is contaminated; it is difficult to restore its quality. Hence, there is a need and concern for the protection and management of groundwater quality.

A study was conducted by International Journal of Advance Research in Science and Engineering by doing groundwater sampling at 45 different locations within the district Dhanbad in all 9 blocks of Dhanbad, Tundi, Topchanchi, Balliapur, Nirsa, Govindpur, Purbi Tundi, Jharia and Baghmara andfive villages in each block were randomly selected to study chemical properties through chemical analysis of groundwater sampled from wells and hand pumps which ever was available to test pH, EC, TDS, Salinity, Fe, Mn and Zn concentration.

Jharia was found out to be the most extensively explored and exploited coalfield and sole repository of much needed prime coking coal in India. It is a part of the Gondwana coalfields and lies in the heart of the Damodar valley at south of the Dhanbad city. Detail investigation of groundwater chemistry for the suitability of drinking and domestic uses in the district Dhanbad as a whole within 9 blocks including Jharia and five villages in each block were sampled, collected and analysed for pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), salinity, Fe, Mn and Zn. In majority of the samples, the analysed parameters are well within the desirable limits and water is potable for drinking purposes with few exceptions. This study was conducted to evaluate the heavy metal concentrations in the groundwater of coal mining area. Groundwater samples analysed based on their heavy metal concentrations such as Mn and Zn. Subsequently, statistical methods employed to identify the controlling factors affecting the heavy metal constituents of the groundwater. Finally, the results were compared with the Drinking Water Quality Standard of the World Health Organization (WHO), India Standard for Drinking Water Specification (IS: 10500) and United States Environmental Protection Act (USEPA). The results of the present study indicate that, the concentration of Mn shown their presence in groundwater samples above the desirable limit recommended for the drinking water Quality Standards which is 0.1 - 0.4 mg/l. But well in prescribed limit for Zn 3.00mg/l to 5.00mg/l. Concentration of Mn in the groundwater samples varied from 0.001 to 2.240 mg/L whereas concentration of Zn varied from 0.606 to 0.792 mg/L.

The groundwater of district Dhanbad is slightly acidic to alkaline in nature. In majority of the samples, the analysed parameters are well within the desirable limits and water is potable for drinking purposes. However, concentrations of pH, EC, TDS, Salinity, Fe, Mn and Zn exceed





the desirable limit at few sites and needs treatment before its utilization. The groundwater of this area is very much affected by various natural sources and mining activity. Probable groundwater management has been suggested to control the pollution and maintain the quality within the permissible limit of drinking water. Owing to all these reasons it was important to prioritise drinking water supply schemes/projects in the directly affected mining areas of Dhanbad.

Health care and Sanitation

The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India designated International Institute for Population Sciences, Mumbai as the nodal agency to conduct NFHS-4. The main objective of each successive round of the NFHS has been to provide essential data on health and family welfare and emerging issues in the area. NFHS-4 data is usually used in setting benchmarks and examining the progress in health sector the country has made over time. Besides providing evidence for the effectiveness of the ongoing programmes, the data from NFHS-4 help in identifying need for new programmes with area specific focus.

Poor quality of education in the district has led to poor health management in the households. This gives rise to health issues since the birth of a child. There are many cases of malnutrition, high child mortality among children below the age of 5 years, poor nutritional habits of lactating mothers, etc. Women and Child development department has its flagship schemes to address all such issues, but it is due to the poor infrastructure and accessibility to the Primary Health Centres (PHC) the gravity of the issues continues to remain the same. Also, the unawareness of the government schemes and the unsatisfactory outreach of the government staff is a matter of concern. There are few fully equipped PHC's in the district that does not serve the purpose of providing health facility to the poor and needy.

The Swachh Bharat Mission (SBM) is a flagship program for Sanitation but it has its own challenges in the district. The people were unwilling to switch to toilets and continued to open defecate. More than merely constructing toilets in SBM it was important to change the mindset of the people.

Rural NFHS indicator data are majorly a matter of concern for the district. For example, the institutional delivery in public facilities in Rural area in the district is 18.4% and in Urban areas it is 24% which is too low. This also draws the attention on infrastructure development in the district both in Health & Sanitation sectors.





Infrastructure

In all the issues mentioned in the district, Infrastructure development falls almost in all the high priority areas. It could be health & sanitation, education, drinking water, agriculture, etc.

The connecting roads in the panchayats are in a very bad state, this reduces the accessibility of the rural as well as urban population. This is one of the major reasons why the rural population living in the most interior regions face the issue of connectivity. Large number of school dropouts were observed due to the bad condition of the connecting roads. Small famers in the district find it difficult to market their produce and bear the loss. Also, there is a huge hue and cry for the drinking water supply in almost all the blocks of the district especially in the summer season. As the conventional water harvesting structures dry out in the summer this increases the dependency of the villagers on the municipal corporation water supply. Since there are no water storage tank facilities in most of the panchayats, the unavailability of drinking water is a major issue. For pollution control and beuatification of the district, sweeping suction machines and LEDs have been procured and installed for the larger benefit of the residents in Dhanbad.

Background of District Mineral Foundation trust

District Mineral Foundation (DMF) is a trust set up as a non-profit body, in those districts affected by the mining works, to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operations. It is funded through the contributions from miners.

- The new rule mandates the inclusion of 10 Gram Sabha members directly from mining-affected areas in the DMF Governing Council (GC).
- In Scheduled Areas, at least 50 per cent of the Gram Sabha members must be from Scheduled Tribes (ST).
- It will also strengthen women's voices in the GC by mandating that from each Gram Sabha, there will be one male and one female member in the GC.
- The amendments create a huge scope for mining districts in the state to improve the lives and livelihoods of those affected by mining,
- The DMF had been envisaged to build 'social capital', thus it must not be wasted on just building physical infrastructure, for which there are other funds.





- A 20 per cent cap has been put on the use of DMF funds for big physical infrastructure projects such as roads, bridges, railways, industrial parks etc.
- The rules mandate spending of at least 50 per cent of the funds on directly-affected areas to ensure worst-hit areas and people are prioritised.
- This is in addition to 60 per cent to be used on high-priority issues such as drinking water, livelihoods, healthcare, women and child development, education, etc.
 - This will not only stop misuse of the funds on big projects such as roads, bridges, industrial parks etc, but will also create more scope to improve investment on soft resources.
- To improve DMF's efficiency in operations and fund use, the amendments have also asked districts to identify mining-affected people and delineate mining-affected areas.
- To ensure better public accountability, a two-step social audit process has been mandated. Provisions have also been introduced for five-year plan, which can be subjected to a third-party review if the secretary of the mines department considers it to be necessary.

About Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY):

- This programme meant to provide for the welfare of areas and people affected by mining related operations. The most productive mining areas in the country are largely areas inhabited by scheduled tribes. They also are mainly located in the areas covered by the Fifth Schedule of the Constitution. The PMKKKY is, therefore, very sharply focused on safeguarding the health, environment and economic conditions of the tribals and providing them with opportunities to benefit from the vast mineral resources that are extracted from the areas where they live.
- The overall objective of PMKKKY scheme include:
 - To implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas, and these projects/ programs will be complementing the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government;
 - 2. To minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts;
 - 3. And to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.





The PMKKKY may cover the activities listed below:

High priority areas – at least 60% of PMKKKY funds to be utilized under these heads:

- Drinking water supply— centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.
- Environment preservation and pollution control measures- effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.
- **Health care-** the focus must be on creation of primary / secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, state and Central government. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.
- Education— construction of school buildings, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and crafts room, Toilet blocks, Drinking water provisions Residential Hostels for students/teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.
- Welfare of Women and Children- Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the PMKKKY.
- Welfare of aged and disabled people Special program for welfare of aged and disabled people.
- **Skill development** Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects / schemes may include training, development of skill development centre, self-employment schemes, support





- to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such selfemployment economic activities.
- Sanitation— collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.

Other priority Areas – Up to 40% of the PMKKKY fund to be utilized under these heads

- Physical infrastructure providing required physical infrastructure road, bridges, railways and waterways projects.
- **Irrigation** developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.
- Energy and Watershed Development Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.
- Any other measures for enhancing environmental quality in mining district.

Annual Plan

Section 9 of DMF Trust Rules, 2006 mandates for the development of annual plan, that must be based on the principle of bottom-up-approach, involving the Gram Sabha of affected areas in consultation with the Mukhiya/Up-Mukhiya. The rationale for developing annual plan is given below:

- To serve as the basis for monitoring and evaluation of the efforts undertaken under DMF
- To understand the issues and opportunities of mining affected areas of district and to understand the development gaps of different sectors and corrective actions required
- To arrive at an integrated, participatory coordinated idea of development of the district
- To prepare strategic action plan of a stipulated period driven by a vision to develop district in important sectors
- Effective utilization of DMF fund for the development of mining affected areas
- To develop ownership among the communities/other stakeholder to participate and share the responsibility during planning and implementation for sustainable development of the district





Approach of planning exercise

While the nuances for development of perspective plan may differ, the broad steps involved for mining affected areas are as listed below.

- 1. Stakeholders meeting (all the district department officials)
 - a. Initial level meeting with DMF administration and department heads
 - b. Workshop for the entire department to explain planning process and DMF legal framework.
 - c. One on one interaction with each major department
- 2. Adoption of micro planning approach for villages
 - a. Spreading awareness among the Gram Sabha about the fund availability for the year.
 - b. Training and capacity building of Gram Sabha of affected area for preparation of plans.
 - c. Use of formats for data/information collection and PRA tools/module for village development plan and preparation of Village Development Plan.
- 3. Need assessment of the district (On the basis of secondary data and field visits)
 - a. Meeting for sharing of gap analysis with district administration and all department head
 - b. Initiate the preparation of departmental plan according to the areas and needs identified.
- 4. Departmental plan as per the identified areas and their needs
- 5. Analysis & compilation of VDP along with Departmental Plans
 - a. After getting a comprehensive understanding about the situation and the people, efforts were made to prioritise and come up with a shelf of projects that broadly addresses the needs of the people in the mining affected area. The shelf of projects forms the basis of preparing various thematic/issue-based plans for implementation. Evaluation of proposal shall also be done on basis of prioritization matrix for that district.
- 6. Final compilation of VDP and Departmental Plan into yearly perspective district plan for DMF.
 - a. Send the plan to departments for validation, correction, modification.
 - b. Share with DMF Governing Committee and Departments and take approval from DMF Management Committee and Governing Council.





Composition of works

S. No.	Sector	No. of Schemes	Amount (in Lakhs)
1	Drinking Water Supply	39	1,395.45
2	Sanitation	12	5,037
3	Physical Infrastructure	8	851.71
	Total	59	7,284.16

Implementation progress

Owing to the major critical issues in the high priority sectors i.e. Drinking water, Health & Sanitation and Education and in low priority areas infrastructure development schemes/projects were undertaken in the district.

A training cum workshop in townhall was held for all the departments and Panchayat heads to orient the team, smooth functioning and proper utilisation of the DMF fund. Later Gram Sabha in the concerned Panchayats were held in the presence of the Sarpanch and 50% villagers from different categories as well as women. A bottom-up approach was followed for identifying the gaps and prioritising the sectors for development of the directly and indirectly mining affected areas. The schemes were planned considering the entire panchayat and by prioritising the issues.

Annual action plan by all the representatives from the Panchayat from all the blocks were submitted in the district considering which an annual action plan for the entire district was planned with time to time approval from the Managing Committee and Governing Council.

Project formulation process

According to the annual action plan designed the departments were instructed to work on the scheme proposals and detail project report (DPR). After the approval of administrative Sanction (AS) and Technical Sanction (TS) of the schemes, an estimated amount is sanctioned to the department. The Sanctioned amount is allotted to the department in





instalments, which is utilised by the concerned department and a utilisation certificate is presented after the completion of the scheme or complete utilisation of the allotted fund. The department can revise the estimated budget and demand more than the sanctioned amount in case if they expenditure is more than the sanctioned amount. The list of all projects sanctioned block-wise and sector-wise has been enclosed in Annexure I.

Success stories of the completed projects

- **1.** Construction of community toilets for both men and women are constructed at different public places in the district. The community toilets are constructed in the following areas:
 - Bhamal Panchayat campus, Nirsa Block
 - Gogan Sports hostel, Kalimati Panchayat, Egarkund Block
 - Gopalpur Panchayat, Egarkund Block
 - Maithan Ghat at Kalipahadi, Uttar Panchayat, Egarkund Block
 - Vikhrajpur Panchayat Campus, Baliyapur Block
 - Block Office Lutipahadi, Panchayat, Baghmara Block
 - IHHL schemes Nirsa, Baghamara, Baliyapur, Egarkund
- **2.** Water Supply schemes were taken up in the entire district. These schemes were undertaken as high priority. The areas were the schemes are undertaken is as follows:
 - Gopinathdih Rural water supply scheme
 - Jharia Rural water supply scheme
 - Renovation of Hariharpur water supply scheme
 - Munidih basti drinking water supply scheme
 - Laying of DI pipes in different areas of Dhanbad block
 - Deep Boring and 5000 Liter Tank Water Supply in Sirsagrah Village Singdaha
 Panchayat
 - Water Supply Scheme of Pathargaria and Asanna village
- 3. Pollution control and beautification works were undertaken are as follows:
 - LED street light installation from Bank More, Dhanbad to Katras turning Jharia





- LED street light installation from City Center, Dhanbad to Memko turning, Dhanbad
- Sewer suction machine are procured
- Truck mounted sweeping machines are procured.

PHOTOGRAPHS of some of these works

























Way Forward


Dhanbad, being a coal mining region, has high deficits in drinking water facilities. Areas of the district being mined for minerals majorly coal has led to sinking of ground water level. The villages, situated at the higher level than the mines, face unavailability of water. Mining and related activities like transportation and crushers also pollute the ground water and surface water of wells, lakes etc. This common issue of water is well reflected in the planning of the Gram Sabha for utilising DMFT fund. Every level of public representative bodies had







discussed and wrote to the district administration about this pertinent issue of drinking water. Hence the plan for the district under DMFT for 2018-19 have extensively given importance to develop facilities for water to large section of the population. Departments and blocks in coordination with Gram Sabha have also decided number of schemes to be taken up in different sectors of health, education, sanitation, environment conservation and beautification etc. in the areas impacted by mining operations of Dhanbad. In coming years, DMFT will adopt the planning process of more participative and bottom-up through usage of Participatory Rural Appraisal (PRA) tools and need analysis. This will help in attainment of the objective of DMFT and PMKKKY in letter as well as spirit in these mining affected regions.









धनबाद जिला खनिज पाउण्डेशन ट्रस्ट विलेख

र्वेज्य यह विलेख आज०4 दिनांक०2 वर्ष 2016 को निष्पादित किया गया।	
द्वारा डारखंड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव / उप-सचिक, खान एवं भूतत्व विभाग वे डि । १८०० पुरुषालय, राँची द्वारा राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष, "जिन्हें व्यवस्थापक" कहा जायेगा।	
्र झारखंड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के संयक्त सचिव / उप सविव, खान एवं भतत्व विभाग व	<u>.</u>
ি ৩৩ ট ০০ দুख्यालय, राँची द्वारा राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष, "जिन्हें व्यवस्थापक" कहा जायेगा।	
ग्री 20' — प्रथम	पक्ष
ि नीचे अंकित पदधारी / न्यासकत्ता या उसके उत्तरदायी, जब तक कि इस विषय के संबंध में अन्यश	भा
💫 अभिव्यक्त न किया गया है, के पक्ष में विलेख निष्पादित किया जाता है।	
ा जिल्ला के जिल्ला के कितीय किताय	पक्ष

2224

E9.5

(क) न्यास परिषद:--

	नाम	शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट
i.	उपायुक्त -	अध्यक्ष
ii.	उप विकास आयुक्त —	सदस्य सचिव
iii.	आरक्षी अधीक्षक - 🕜	सदस्य
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम्	सदस्य
	वन प्रमण्डल पदाधिकारी —	
٧.	जिला शिक्षा पदाधिकारी –	सदस्य
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा	सदस्य
	पदाधिकारी	Prince of the contract of the
vii.	संबंधित उप निदेशक, खान –	सदस्य
viii.	संबंधित उप निदेशक, भूतत्व	सदस्य
ix.	संबंधित जिला खनन पदाधिकारी	सदस्य
х.	अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि —	सदस्य
χi.	झारखंड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि —	सदस्य
xii.	माननीय सांसद के प्रतिनिधि –	सदस्य
xiii.	जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके	सदस्य
	प्रतिनिधि –	
xiv.	दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा	सदस्य
· ·	नामित किया जाएगा	
xv.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप	सदस्य
	प्रमुख –	
xvi.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप	सदस्य
	भुखिया—	

चूँकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा—9B अन्तर्गत, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में किया जाना है, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियाँ—परिवार के हितों व लाभों की रक्षा करने का कार्य राज्य द्वारा यथा निर्देशित ढंग से किया जा सकें। एवम्

चूँकि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने यह विनिश्रिय किया है कि एक गैर लाभकारी न्यास का गठन राज्य सरकार अन्तर्गत किया जाए ताकि गठित न्यास अन्तर्गत प्राप्त कोष से खनन क्षेत्र में रहने वाले खनन प्रभावित लोगों का समुचित विकास राज्य सरकार द्वारा विहित निर्देशित ढंग से व्यवस्थापक द्वारा किया जा सके। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट बनाए जाने के उद्देश्य से न्यासी के नियंत्रणधीन 1000/- (एक हजार) रूपये से प्रारम्भिक पुरिनिर्धारण किया जाता है।

अब यह न्यास विलेख इस प्रकार है :--

परिभाषा एवं निर्वचन

इस न्यास विलेख में यदि संदर्भ की आवश्यकता भिन्न नहीं हो तो निम्नांकित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से माने जाएंगे :--

- अधिनियम का अर्थ है :— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
- ii न्यासी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक / चार्टड अकाउण्टेंट में व्ययस्थापक द्वारा प्राधिकृत या महालेखाकर झारखंड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक भी समझे जाएगें।
- "लाभुक' का अर्थ है खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्ति।
- v अंशदान का अर्थ है :— (क) जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खिनज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टे या पूर्वेक्षण-सह खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के

MILIP MESS

लिए किसी भी प्ररिस्थिति में विगत देनदारियाँ एवं प्रतिवद्धता, आगामी वर्ष में प्राप्त होने वाली रोकड़ से तीन गुणा से अधिक न हो।

- (3) यदि व्यवस्थापक द्वारा इस न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध न्यास के कोष से कोई व्यय का निर्धारण किया गया है, तो उसका अनुमोदन।
- (4) प्रबंधकीय समिति के अनुशंसा को अनुमोदित करना।
- (5) न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा का पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर अनुमोदित करना।
- शासी परिषद की बैठक :--
- (1) शासी परिषद, जहाँ आवश्यक हो बैठक आयोजित कर सकेगी, परन्तु प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार अवश्य बैठक करेगी।
- (2) शासी परिषद की बैठक के अध्यक्ष के इच्छानुसार बुलायी जा सकेगी।
- (3) कुल सदस्यों के 1/3 (एक तिहाई) भाग उपस्थित रहने पर कोरम पूर्ण माना जाएगा।
- 9. प्रबंधकीय समित :- न्यास के मामले/कार्य, प्रबंधकीय समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे एवं इस समिति में निम्नांकित सदस्य होगें :--

प्रबंधकीय समिति:--

i. उपायुक्त

अध्यक्ष

ii. आरक्षी अधीक्षक

सदस्य

iii. उप विकास आयुक्त— सदस्य सचिव

- iv. संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन सदस्य प्रमण्डल पदाधिकारी
- v. जिला/सहायक खनन पदाधिकारी
- vi. असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य
- vii. जिला पंचायती राज पदाधिकारी

सदस्य

- 10. प्रबंधकीय समिति की बैठक :— एक वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय समिति की बैठक कम से कम 06 बार अध्यक्ष के निर्णयानुसार की जाएगी।
- 11. प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कृत्य :- प्रबंधकीय समिति
- (1) न्यास के हित को सुरक्षित रखते हुए अपने कत्तर्व्य का निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करेगी।
- (2) संबंधित पट्टेधारियों से अधिनियम के प्रावधानुसार समेकित अंशदान का ससमय जमा कराएगी।
- (3) न्यास के कार्यों के मास्टर प्लान/विजन अभिलेख, परियोजना प्रस्ताव एवं स्कीम तैयार करेगी।
- (4) वार्षिक योजना एवं बजट के निर्माण में न्यास को सहयोग करेगी।
- (5) वार्षिक योजना एवं अनुमोदित परियोजना का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करेगी।
- (6) परियोजाना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष की विमुक्ति एवं संवितरण करेगी।
- (7) न्यास कोष का संचालन न्यास के नाम बैंक खाता खोलकर, लेखा एवं विलेख का संचालन करेगी।

अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वागिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जाएगी।

- (ख) वेसे पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व / दर से अनिधक राशि इस कोष में प्राप्त की जाएगी।
- अंशदान कोष का अर्थ है, जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टाधारक से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप अंशदान प्रतिशत में स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक प्राप्त राशि का कोष।
- vi "जिला दण्डाधिकारी" का अर्थ है, राजस्व प्रशासन का जिला में प्रमुख अधिकारी जिसे समाहर्त्ता या उपायुक्त के नाम से नाम निर्दिष्ट हों।
- vii "जिला पंचायत" का अर्थ है, जिला परिषद या कोई अन्य प्राधिकार, जिसे संविधान की अनुसूची v एवं vi में समान दायित्व उन क्षेत्रों में दिया गया है।
- viii "शासी परिषद" का अर्थ है, सभी न्यासी की परिषद, जो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में है और जिसे न्यास परिषद के रूप में जाना जायेगा।
- ix "अध्यादेश" का अर्थ है, खान एवं खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015"
- x "न्यास का अर्थ" है, धनबाद जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, जो व्यवस्थापक द्वारा बनाया गया है।
- xi "वर्ष" का अर्थ है, पहली अप्रैल से प्रारम्भ एवं 31 मार्च को अगले वर्ष समाप्त होने वाला वर्ष या अंश, जो 31 मार्च को समाप्त होगा।
- (2) एकवचन में प्रयुक्त शब्द में वहुवचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त शब्द में एकवचन क्रमशः सम्मिलित समझे जाएगें।
- (3) जिन शब्दों का अर्थ पुलिंग है, उसमें स्त्रीलिंग एवं उभयलिंग भी सम्मिलित समझे जाएगें।
- न्यास का नाम :- इन न्यास को "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" के नाम से जाना जाएगा
 एवं इसका कार्यालय जिले के उपायुक्त के कार्यालय में अवस्थित होगा।
- 3. उद्देश्य :— "धनबाद खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" का उद्देश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों तथा क्षत्र के हित-लाभ के लिए योजना का सूत्रण, स्वीकृति व कार्यान्वयन, जिला खिनज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

नियुक्ति एवं घोषणा :- न्यास परिषद का न्यासी

- (1) व्यवस्थापक सभी न्यासी को न्यास परिषद का न्यासी नियुक्त करते है, जिसका गठन हो रहा है एवं सभी न्यासी यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं प्रावधानों के साथ स्वीकार करते हैं।
- (2) न्यासी जिन्हें पदनाम से शासी परिषद का न्यासी नियुक्त किया गया है, अपने पद पर बने रहते हुए न्यासी का पद धारित रखेंगे एवं उनके पदमुक्त होने तथा प्रतिस्थानी के आने पर उनके प्रतिस्थानी न्यास परिषद में उनके स्थान पर पदमार लेने के साथ ही स्वतः न्यासी हो जाऐगें।

SERPINA ME

Section & Commence 114 37.882 13/01/16 10/ respect of Doctobert क्ष क्षित्र आतेत्व र्धनवाद



- (8) न्यास कोष के प्रगति का अनुश्रवण करेगी।
- (9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर गार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा का शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- (10) न्यास के सफल संचालन हेतु नियम को तैयार/अनुमोदित करेगी।
- 12. न्यास कोष :--

धनबाद खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:--

- (1) व्यवस्थापक द्वारा प्रारम्भिक परिनिर्धारण।
- (2) व्यवस्थापक या अन्य एजेन्सी, संस्थान या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान, अंशदान या अन्य रकम अदायगी।
- (3) अधिनियम की दूसरी सूची में यथा उल्लेखित स्वामिस्व की दर पर खनन पट्टाधारी, सह—खनन पट्टेधारी से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वामिस्व दर के प्रतिशत की समतुल्य प्राप्त राशि।
- 🔌 पूँजीनिवेश अन्य जमा पर उदभूत ब्याज, जो लागू हो।
- (5) न्यास की अन्य सभी सम्पति एवं आय, जो पूँजी वृद्धि से प्राप्त हुई हो।
- 13. न्यास कोष का संचालन :— न्यास के नाम से, एक या अधिक अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों, में खाता खोलकर रखा जा सकेगा, जिसका संचालन सदस्य सचिव एवं प्रबंधकीय समिति के अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रबंधकीय समिति के प्राधिकृत करने के उपरांत किया जा सकेगा। न्यास इस कोष की लेखा विवरणी का रख रखाव करेगा।
- 14. न्यास काँष से खर्च :--

न्यास के पास उपलब्ध कोष से निम्नांकित व्यय किया जा सकेगा :--

- (1) खनन संबंधित कार्यो के कारण जिले के प्रभावित क्षेत्रों में न्यासी द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समेकित विकास का कार्य।
- (2) स्थानीय सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण।
- (3) खनन प्रभावित क्षेत्र में समुदायिक आस्तियाँ एवं सेवाओं को स्थानीय आबादी को मुहैया कराना व उनका अनुरक्षण एवं उन्नयन करना।
- (4) स्वरोजगार व रोजगार सृजन के उद्देश्य से कौशल एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण संचालित करना, परन्तु कुल प्राप्त वार्षिक कोष के 6 प्रतिशत से अधिक राशि का व्यय न्यास द्वारा प्रशासनिक या स्थापना खर्च में नहीं किया जायेगा,

परन्तु, न्यास कोष से किसी प्रकार का अग्रिम या नकद अनुदान किसी भी लाभुक को नहीं दिया जायेगा।

15. खर्च का अवभार :--

निम्नांकित खर्च न्यास के कोष से किए जा सकेगें।

(1) न्यास के कार्य या संचालन में कुल खर्च, जिससे वसूली एवं निवेश के हित लाभ साधे गये हो।

JULIAN A

- (2) न्यासी द्वारा कोई संसाधन या अंशदान प्राप्त करने में हुए खर्च (एकरारनामा या विलेखों के निष्पादन निबंधन में हुए प्रारम्भिक व्यय)
- (3) विधिक कार्यवाही में उत्पन्न खर्च, जो न्यासी द्वारा या विरूद्ध हुए हो, से संबंधित व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक परामर्शी का खर्च।
- (4) सभी वैधानिक एवं कानूनी व्यय जो न्यास के संचालन में हुए हो, यथा शुल्क, उद्ग्रहण, अन्य खर्च सहित ।
- (5) बैठक एवं कार्यवाही संचालित करने में हुए व्यय।
 - 16. लेखा एवं अंकेक्षण :--
 - 1.(i) (क) प्रबंधकीय समिति द्वारा लेखा विवरणी, दस्तातेजों व अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, जिससे न्यास कोष की सही एवं स्वच्छ स्थिति प्रदर्शित हो।
 - (ख) एक वर्ष की समाप्ति के उपशंत योग्य अंकेक्षक द्वारा न्यास के लेखा का अंकेक्षण किया जायेगा।
 - (ii) न्यासी द्वारा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षण की सूची में से शासी परिषद की बैठक में जैसी शत्र्ते एवं प्रावधान, न्यासी तय करेंगें के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।
 - (ii) अंकेक्षक को न्यासी द्वारा हटाया एवं परिवर्तित किया जा सकेगा।
 - 2. उपरोक्त कंडिका—1 में होते हुए भी व्यवस्थापक किसी अंकेक्षक का नियुक्त कर सकेगा या महालेखाकार द्वारा अंकेक्षक नियुक्त कराकर किसी वर्ष या अवधि का अंकेक्षण जिस शत्र्त पर कराना चाहे, उसे कराने का निर्णय ले सकेगा।
 - 3. न्यास अंपने अगामी वर्ष का आय—व्ययक, योजना, परियोजना एवं स्कीम की अनुमोदित प्रतियाँ जिला पंचायत / जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग, योजना विभाग) के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजेगा।
 - 4. प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा अनुमोदित परियोजना आदि की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां जिला पंचायत, जिला प्रशासन को अविलम्ब बेवसाईल पर प्रकाशन हेतु भेज दी जाएगी।
 - 5. वित्तीय वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा न्यास परिषद से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के बेवसाईट में प्रकाशनार्थ भेज दिया जाएगा।

17. प्रशासनिक व्यवस्थाएँ :--

- (1) राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत कर्मियों (जिला पंचायत में कार्यरत कर्मी सहित) की सेवा न्यास के प्रबंधन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी।
- (2) न्यास परिषद व्यवस्थापक / राज्य सरकार से यथेष्ट संख्या में मुख्य कर्मी अपने किसी विभाग या जिला परिषद या अन्य संवर्ग से प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए देने का अनुरोध कर सकेगी। इन प्रतिनियुक्ति कर्मियों की सेवा अपने मूल संवर्ग में ही रहेगी। न्यास इस कार्य के निमित अधिकतम 3 प्रतिशत का खर्च वहन कर सकेगी (यह 3 प्रतिशत कंडिका 14(4) में किए गए 6 प्रतिशत के अधीन होगा)।
- (3) न्यास किसी सेवा प्रदाता से न्यास को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के निमित ऐसी सेवा ले सकेगी एवं आकस्मिक खर्च से इस कार्य का वहन कर सकेगी।

MY 16

18. न्यासी का दायित्व :--

- (1) न्यासी ऐसे किसी कार्य के प्रति उतरदायी नहीं होगा, जो पूरे सदभाव, अधिकार एवं सतर्कता से किया गया हो। किसी बैंक, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिनके पास नेक नियत से न्यास का कोष रखा गया हो, के गलती या निवेश के अपर्याप्त होने पर या अनैच्छिक हानि के लिए वह जिम्मेवार नहीं होगा।
- (2) सभी न्यासी एवं एटर्नी, एजेन्ट, जिसे न्यास द्वारा नियुक्त किया गया हो, को न्यास कोष से सभी दायित्व, हानि, कार्य को करने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, वशर्ते ऐसे कार्यो को छोड़कर जो लापरवाही अथवा कदाचार से किए गए हो परन्तुक ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी परिस्थित में कुल प्राप्त अंशदान से अधिक नहीं होगी।

19. न्यासी का पारिश्रमिक :--

न्यासी द्वारा दिए गए सेवा के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

20. संशोधन :--

व्यवस्थापक / राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस विलेख को संशोधित किया जा सकेगा।

21. न्यास की मोहर :--

शासी परिषद की बैठक में न्यासी द्वारा न्यास की मोहर की स्वीकृति एवं समय—समय पर उसे नष्ट या नये रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष के पास न्यास की मुहर रहेगी एवं वे इसका न्यास के स्थान पर व्यवहार कर सकेगें।

22. प्रतिसंहरित :- व्यवस्थापक के विवके एवं स्वेच्छा से न्यास को प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। न्यास उस अवधि तक कार्य कर सकेगा, जैसा व्यवस्थापक द्वारा विर्निदिष्ट किया जाएगा। न्यास की समाप्ति के उपरांत सभी आस्तियाँ एवं देनदारी राज्य सरकार में हस्तांतरित हो जायेगी।

राज्य सरकार के वास्ते हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

उप विकास आयुक्त -सह-सदस्य सचिव, धनबाद

संयुक्त / ज्रूप सचिव संयुक्त स्विधे खान एवं भूतत्व विधीन आरखण्ड, रॉमी।

<u> 31016</u> ,
31aie: - 1 93/4 341 616
9149 911 WZITWAZIA
चनवाउ
(2) <1a,91 3 41(3)
(a) 1 (a) (b) (a)
101MI (911 ani 4) My

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



अशोक कुमार सिंह Ashok Kumar Singh जन्म विश्वित DOB: 02/01/1960 भुक्तमः / MALE

4250 4069 1601

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UNIOUSIDENTIBLEMIONAUTHORITY OF INDIA

पता:

विजया निवास, अम्बेद्रकर चौक, बरमसिया, बी.देवघर, देवघर,


Address: VIJAYA NIWAS, AMBEDKAR CHOWK , BARMASSIA, 6 0000 nar.

Deogher. Uharkhand - 814112

झारखण्ड - 814112

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

इस परिचय-पत्र को हमेशा अपने साथ रखें।



नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

THE PARESH LETTERS OF THE DISTRICT OFFICE, DHANGAD

निबंधन विभाग, झारखंड धनबाद

जांच पर्चा-मह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

1	n No 39	:														Ţ	oken Da	te/Time: 04/0	12/201	6 13:37:5
	ment Ty				٦	 rust			Pı	res	ent	er	Dipu	ıty D	evelopi			oner, Dhanb		
			Addres	s	[D.D.C.	Office	, Dhanb	ad	Ì							ate of En	•	2/2016	
	ipable D				()				O							ital Page			
			ction Val	ue	C)					-		100				ook NO/PNO	IV		
•	ial Type									- 1	al N		0			CI	NO/FINO			
	arks / O								_	· ·		ial No.	ı			ρ.	Stamp C	ert.		
rop	erty De	tails:							A	PP	. ID					No	•	.		
						Kh.	Plot	Plot	Bour	ndi	arv	Bound	iarv	Bot	undary	Boun	dary H	Catagon	Area	Min.
And	:hal T	h.No.	Wrd/H	lk Ma	uza		No		North	- [y	South	_	Eas		West	No		Alta	Value
 Othe	er Prope	erty D	etails:				··						-							naugt
Pro	perty T	ype		Th.	No.	Wrd	Maı	ıza		_		Lo	cati	on		AI	rea	Rate	Ar	nount
	Data!									-			·- <u></u>							<u></u>
<u>-arr</u>	y Detail	\neg		— Т								Canto	Cal	odor	PAN/F	UID	Mobile	Pres.	- 1	rm.
SN	Р Туре	e Pa	irty Nam	ne	Fathe	er/Husl	band ———	Occup	. Kei	lati	on	Caste	Gei	itaei	60		Mobile	Address	Ad	dress
1	Trustate	Sin De Co	hok Kum igh Depu velopme mmision anbad	uty ent	_ate F Singh	lari Na	ndan	Service	पिता	Γ		राजपुत	Male	е				D.D.C. Offic Dhanbad	e, _{Do}	
2	Identifie			mar	Rama	dhar D	ubey	Service	: पिता	ſ		ब्रहमण	Mak	е				District Minir Office, Dhanbad	ng Do	
3	Witnes	Ra	kesh Ku bey	mar	Rama	ıdhar D	ubey	Service	भे पिता	T		ब्रहमण	Male	e				District Minit Office, Dhanbad	ng Do	
4	Witnes	s2 Pra	adip Kun h	nar	Ramo	lhani S	ah	Service	धित	7		साहु	Mal	e				A.Mining Officer, Dhanbad	Do	
	Details	<u></u> :							<u></u>				•							
SN		<u>.</u> cripti	on A	mou	nt		CHC		$\overline{}$	Νe	t A	mount]						
1	E	<u> </u>				00.00		1	0.00		. ا	1,01	0.00							
<u>:</u>	SP	-		_		390.00			0.00			39	0.00]				. /	ŕ	ϱ
Tota				_	1,3	390.00		1	0.00			1,40	0.00]				V g	A P	4 11/2
	A	4 2				30			10.4	_	•	_	10		—			/		1/2/ m
						420			<u> دي </u>	 		_10	1419	3-	<u>-</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
उपर	युक्त प्री	वेष्टिर	गॅं दस्ता	वेज मे	रे अंबि	फ्त त ै	यों के	अन्रूप	₹				.	स्तावे	क्षेत्रक	क का	हस्ताक्षर	प्रस्त	नकर्ता#	का हस्ताक्ष
निबंध	धन पूर्व	सारांश	ा में इंप्	ट फार	र्म के	अनुरूप	। डाटा	इंट्रि की	गई	F			- -	• •		- - · ·	<u> </u>		0	
			Б €							•		~ ,						डाटा इंट्रि अ		
उपर	. .			.	इप्र १	दकाट	39	34.	, 4 •	74	<i>γ</i>	· •			ने इ	स दस्त	तावेज के	निष्पादन के	ा मेरे	समक्ष
_	हार किंग् ≈ ी					0.0									- •					
पहचान रास्त्री जुना विह									ि	ता			_	59						
. •			71 2					धानव	16	.	• • • • •			पे	शा		30	.1	की	
		17		, , ,					`									प्रभाग पदाधिक इंधन पदाधिक	ا آگار جو	द्रस्याक्षर
			\														(676	14+1 74H44	· <1 - 41/1	CAMIN

निबंधन विभाग, झारखंड धनबाद

Token No.39 Token Date: 04/02/2016 13:37:53

Serial/Deed No./Year :790/97/2016

Deed Type: Trust

SN	Party Details		Photo	Thumb
1	Ashok Kumar Singh Deputy Develor Commisioner Dhanbad Father/Husband Name:Late Hari Nand (Trustator) D.D.C. Office, Dhanbad			
2	Rakesh Kumar Dubey Father/Husband Name:Ramadhar Dub (Identifier) District Mining Office, Dhanbad	ey .		
3	Rakesh Kumar Dubey Father/Husband Name:Ramadhar Dub (Witness1) District Mining Office, Dhanbad	еу	×	×
4	Pradip Kumar Sah Father/Husband Name:Ramdhani Sah (Witness2) A.Mining Officer, Dhanbad		×	×

Book No.	, IV						
 Volume 	6	•					
Page	405 To 430						
Deed No	790/97	•					
Year	2016						
Date	04/02/2016 15:27:36						

Registering Officer

Signature of Operator

	ANNUAL PLAN 2018-19 - DMFT PLAN	T	I
	Details of Work	Line Departments	Estimate Amount (in Lakhs)
	Inter Connection of Raw Water Rising Main of Gopinathdih Rural Water Supply Scheme and Bhatinda Fall Rural Water Supply Scheme.	PHED 2	4.26
	Renovation of Hariharpur Rural Water Supply Scheme .	PHED 2	77.05
	Supplying and laying of D.I. Pipe form NEar Shiv Mandir New Drip Fourty Dhaura to Rajendra Singh House under D.W.&S. Division No. 1 Dhnabad	PHED 1	3.98
	Supplying and laying of DI pipe form near Sanskriti Club to Ravi Ranjan SIngh House under D.W. S. Division No. 1, Dhanbad Supplying and laying of DI Pipe form Behind Sanskriti Club Khapra Dhaura to Dilip Hari house under D.W. S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1 PHED 1	4.87 3.98
	Supplying and laying of DI Pipe form Chandani Chowk to Kedar Pandey House under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad Supplying and laying of DI Pipe form Imambara Coke Plant to Panchayat Sachivalay under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	3.98 2.44
		PHED 1	
	Supplying and laying of DI Pipe form Botal Paswan DUkan to Kharo Mohalla near Jitendra Saw House under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad Supplying and laying of DI Pipe form Neww Drip Tweleve Number Jamua Paswan House to Rajendra Paswan House under D.W. & S. Division No. 1,	PHED 1	4.87
	Dhanbad Control of the Control of th	PHED 1	2.44
	Supplying and laying of DI Pipe form Sashi Paswan House to Man SIngh Mohalla via Anganbari under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad Supplying and laying of DI Pipe form Pappu Taylor Dukan Hari PAtti PAndarkanali to Lakhnawi Patti via Ramchandar Singh House under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	3.33
	Supplying and laying of DI Pipe form Imambara Coke Plant to Upper Dhura under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	2.44
	Supplying and laying of DI Pipe form Opposit Durga Mandir to Brizbhushan Prasad House under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	2.44
	Supplying and laying of DI Pipe form New Drip Near Rama Shankar Srivastav House to Raj Kishore Mali House under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	1.54
<u>≯</u> .	Deep Boring and 5000 Liter Tank Water Supply in Sirsagrah Village Singdaha Panchayat		8.55
Drinking water supply	Supplying and laying of DI Pipe form Old Dhnabad Municipal Corporation office to Bhagyodya Building under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	13.75
ater:	Supply & laying of D.I. Pipe form Police line ESR Simaldih Telipara, Dhanbad under D.W & S. Division NO.1 Dhanbad	PHED 1	41.05
g wg	Water Supply Scheme of Pathargaria and asanna vellage Shifting of 200 MM Dia D.I. K-7 Pipeline form near Hotel Skylark to Shanti Bhawan under DW&S Division No.1 Dhanbad	PHED1 PHED 1	927.85 11.10
ii. Ki	Suppling and laying of 100 MM Dia D.I. K-7 Pipeline form near Ozone Plaza to Jain Mandir, Shanti Nagar under DW&S Division No.1 Dhanbad	PHED 1	7.55
Ğ		DW&S Mechanical	
	Annual O & M Estimate for Rural Wter Supply Scheme , Mahuda Bazar for the Year 2018-19 under DW&S Mechanical Division, Dhanbad	Division DW&S Mechanical	2.73
	Special Repair of Rural Water Supply Scheme, Kultand of DW&S Division , Chas under DW&S Mech. DIvision Dhanbad for Year 2018-19	Division	2.00
	Water Supply in Village Lalpur Futaha Dhanbad by making Extension throgh Gopinathdih water supply scheme under DW&D Division -2 Dhanbad Deep Boring and 5000 Liter Tank Water Supply in Brahamandiha Village Teli Tola Brahamandiha Panchayat		20.48 7.64
	Deep Boring and 5000 Liter Tank Water Supply in Brahamandina 'thiage' Ten Tola Brahamandina Panchayat Deep Boring and 5000 Liter Tank Water Supply in Sidhabad near Hari Mandir Brahamandiha Panchayat		8.23
	Supplying and laying of 100mm Dia D.I. pipe K-7 from CISF camp to Jha colony, Hanuman mandir, New Delhi road to BCCL colony (Hirapur		28.13
	Dhoada) and das patti at Dhansar ward no. 33 under D.W&S, Division no. 1 Dhanbad Extension of pipe line in Kola kusuma Koylanagar Ward No 23 Muhalla Lipidih, dhnabad		10.61
	Extension of pipe line in Rani Road Bhuda, Kala Bihar Colony dhnabad		7.00
	Extension of pipe line in V. I. P. Colony (Near Midel School) Ward No 23, Kola Kusuma dhnabad Construction of RCC Sump for Improvement of Water Supply work in PMCH Premises, Dhnabad		8.24 24.16
	Suppling and laying of 50 mm Dia G.I. Pipe Sumersible motor pump in existing bore hole and allied work at JAP-3 campus Govindpur, Dhanbad under DW&S. Division No.1 Dhanbad	PHED 2	5.87
	Construction of Residual work for water supply and Sanitary works in CHC at Pandra, Nirsa Block, Dhanbad Suppling and laying of D.I. Pipeline from Shahid Khan house to Kailu House under DW&S Division No.1 Dhanbad	PHED 1	49.60 3.97
	Suppling and laying of D.I. Pipeline from Shanid Khan house to Kanu rouse under DW&S Division No.1 Dhanbad Suppling and laying of D.I. Pipeline from Kudu's chai dukaan to Neemdhuara under DW&S Division No.1 Dhanbad	PHED 1	3.33
	Supplying and laying of DI Pipe from Amzad Khan house to Shamshad Khan House under D.W. & S. Division No. 1, Dhanbad	PHED 1	2.43
	Suppling and laying of D.I. Pipeline from New Durga Mandir to Suresh Yadav house under DW&S Division No. 1, Dhanbad Water supply scheme in Munidih bastifrom newly constructed dhobini ESR of gopinathdih under Rural Water supply scheme	PHED 1 PHED 2	5.17 16.60
	Water Supply in Jharia block		5.38
	Replacement of Pipes TOTAL	PHED 2	54.00 1395.45
	1011112		1073.43
	Construction of IHHL in Baghmara		₹ 500.00
	Construction of IHHL in Baliapur		₹ 632.00
_	Construction of IHHL in Nirsa Construction of IHHL in Egarkund		₹ 896.00 ₹ 500.00
Sanitation	Construction of general toilets in Baliapur block		₹ 338.00
anit	Construction of general toilets (men and women) at Maithan Ghat, Egarkund block		₹ 338.00
3 2	Construction of general toilets in baghmara block Construction of general toilets (men and women) at Maithan Ghat, Egarkund block		₹ 338.00 ₹ 338.00
	Construction of general toilets (men and women) in Nirsa block		₹ 338.00
	Construction of general toilets in Egarkund block Construction of general toilets (men and women) at Topchachi block		₹ 338.00 ₹ 266.00
	Construction of general toilets (men and women) at Gobindpur		₹ 215.00
		+	₹ 5,037.00
	Mobile toilets in Dhanbad	Dhanbad Municipal Corporation	₹ 175.00
	Portable toilets	Dhanbad Municipal Corporation	2.80
ıcture	Twin bins	Dhanbad Municipal Corporation	11.60
Physical infrastructure	Self propelled ride on sweping machines	Dhanbad Municipal Corporation	49.50
ii ii	Truck mounted sweeping machines	Dhanbad Municipal	175.00
nysic	Sewer suction machines in Dhanbad	Dhanbad Municipal	41.00
곱	LED street light installation from Bank More, Dhanbad to Katras turning Jhariya LED street light installation from City Center, Dhanbad to Memko turning, Dhanbad	Dhanbad Municipal Dhanbad Municipal	155.36 241.44
	LLD SUCCE HERE INSTANTATION FROM CHY CENTER, DIMINION TO METHING LUTTING, DIMINION	Dianoad Municipal	
		CDAND TOTAL	₹ 851.71
		GRAND TOTAL	₹ 7,284.15



विनाक 08.09.2018 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

दिनांक 08.09.2018 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम ट्रस्ट के कार्यों, प्राप्त आवंटन / व्यय तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी।

(1) डी०एम०एफ०टी० अन्तर्गत प्राप्त आवंटन/व्यय तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा— प्राप्त आवंटन एवं व्यय (दिनांक 31.08.2018 तक)

(i) कुल प्राप्त आवंटन (सूद सहित) — 858.872 करोड़

(ii) कार्यान्वयन ऐजेंसी को विमुक्त राशि — 304.693 करोड़

कार्या	न्तित	गो	त्तन	यें	_
काया	וייםת	या	ויוט	ч	

	कार्यान्वित याजना			स्वीकृत	विमक्त	अभ्युक्ति
क्र0	योजना का प्रकार	प्रखंड का नाम	कुल योजना	स्यापृरा राशि	विमुक्त राशि	
7.0			याजना	(करोड़ में)	(करोड़ में)	
1			24405	112.979	112.979	72.845 करोड़ का
1	व्यक्तिगत शौचालय	कलियासोल, निरसा,	91165	112.313		उपयोगिता प्रमाण
1 ' 1	निर्माण	एग्यारकुण्ड, धनबाद, बाघमारा				पत्र प्राप्त
	1.1.0	एवं बलियापुर	40	2.034	2.034	निविदा प्रक्रिया
2	सामुदायिक शौचालय	निरसा, एग्यारकुण्ड,	12	2.034	2.00	पूर्ण कार्य प्रारंभ
2	निर्माण	बलियापुर एवं बाघमारा				पूर्ण कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया में
				1.367	1.367	८ योजना पूर्ण
3	सौर उर्जा चालित लधु	बाघमारा	9	1.507	1 1	जलापूर्ति प्रारंभ, 1
3	ग्रामीण जलापूर्ति					योजना स्थगित
	योजना		7	722.330	112.247	1 लधु जलापूर्ति
4	PHED-1 द्वारा कार्यान्वित	गोविन्दपुर, निरसा,		722.000		योजना पूर्ण
	लघ एवं बहुग्रामीण	कलियासोल, एग्यारकुण्ड एवं				
1	ि जलापति योजना	111111111	8	134.270	76.066	४ लधु जलापूति
5	PHED-2 द्वारा कार्यान्वित	बाघमारा, तोपचांची एवं	٦	.5		योजना पूर्ण
	लघ एवं बहुग्रामीण	धनबाद				
	जलापूर्ति योजना		91201	972.980	304.693	
	कुर	नः	3,20		9	

समीक्षोपरान्त प्रबंधकीय समिति के द्वारा सर्वसम्मित से उक्त आय/व्यय विवरण को सम्पुष्ट किया गया तथा सम्पुष्टि हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

विभिन्न कार्यान्वयन ऐजेंसियों / विभागों से डी०एम०एफ०टी० के तहत योजना से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर योजनावार विचार करते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया —

(2) पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-1, धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव -

(i) गोविन्दपुर/निरसा/एग्यारकुण्ड एवं कित्यासोल प्रखंड के बंद नलकूपों को चालू करने की योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद के द्वारा गोविन्दपुर / निरसा/ एग्यारकुण्ड एवं कित्यासोल प्रखंड के प्रति पंचायत 5 अदद बन्द पड़े नलकूपों के पाईपों को बदलकर चालू किये जाने हेतु डी०एम०एफ०टी० निधि से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है तथा कुल 530 नलकूपों की मरम्मति हेतु 55,05,110.00 रू० का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। योजनायें ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 99 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर/निरसा/एग्यारकुण्ड एवं कित्यासोल को ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

Ī	योजन	ा की विवरणी नि	म्नतन है –		प्राक्कलित राशि
	क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायतों की	प्रति पंचायत 5 अदद सड़े	
			संख्या	राइजर पाइप प	200000
		= -		किये जाने हेतु संख्या	Rs. 10387.00x195= 2025465.00
	1	गोविन्दपुर	39	39x5= 195 Nos.	1 1402240.00
	2	निरसा	27	27x5= 135 Nos.	10007 00v100= 10007 00:00
	3	एग्यारकुण्ड	20	20x5= 100 Nos.	Rs 10387.00x100= 1036700.00
	4	कलियासोल	20	20x5= 100 Nos.	5505110.00
	,	कुल:	106	530 Nos.	

प्रस्तावित 530 नलकूपों का पाईप बदलने की योजनायें प्राक्किलत राशि 55,05,110.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मित से लिया गया तथा विचारार्थ/स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(ii) मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के द्वारा 24 अदद बन्द मिनी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने हेतु तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजनायें ग्राम सभा से पारित नहीं है।

योजना की विवरणी निम्नवत है -

•	या ज	गा का १ववरणा निम्नवत ह -	-			
	क्र0	योजना का नाम	योजना की स्थिति	लाभान्वित	संचालन संस्थ	ा चालू किये
		110	चालू / बंद	आबादी		जाने हेतु
				1		प्राक्कलित
L						राशि
	1	Nayanagar MRPWSS	बंद	460	VWSC	277500.00
L	2	Madandih MRPWSS	बंद	1050	VWSC	293500.00
-	3	Kalimati MRPWSS	बंद	1860	VWSC	526600.00
	4	Mallikpara MRPWSS	बंद	1560		308100.00
-	5	Bardangal MRPWSS	बंद	1546	VWSC	273000.00
<u> </u>	6	Silika MRPWSS	बंद	930	VWSC	248300.00
-	7	Nero MRPWSS	बंद	624	VWSC	
_	8	Rampur MRPWSS	बंद .	722	VWSC	219200.00
	9	Machamahul MRPWSS	बंद	1138	******	199400.00
		Bandrabad MRPWSS	बंद	580		184100.00
1	_	Shyampur MRPWSS	बंद	720		223500.00
1.		Khairkiyari MRPWSS	बंद	1550	VWSC	242400.00
14	_	Baidhnathpur MRPWSS	बंद	690	VWSC	526600.00
15	_	Kanadih MRPWSS	बंद	810		278900.00
16	_	ilterdhoura MRPWSS	बंद	1220	VWSC	242400.00
17		Kumardhubi MRPWSS	बंद	830	VWSC	308100.00
18	_	alipahari MRPWSS	बंद	980		308100.00
19		enagoria MRPWSS	बंद	730		526600.00
20	- 0	enagoria Ravidastola MRPWSS	बंद	640		257700.00
21	G	ivlibari North MRPWSS	बंद	1680	100	308100.00
22	G	opalpur MRPWSS	बंद	640	VWSC	216900.00
23	M	uduwa MRPWSS	बंद		7	242400.00
24	De	angurdih MRPWSS evli MRPWSS	बंद	1485		308100.00
			बंद	1130	VWSC	526600.00
_	कु	VI.		1282	VWSC	219200.00
						7265300 00

प्रस्तावित २४ जलापूर्ति योजनायें प्राक्कलित राशि ७२,६५,३००.०० रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया



(iii) निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत निरसा मध्य पंचायत के पाथरचट्टी में सामुदायिक शौचालय निर्माण — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद के द्वारा निरसा प्रखंड अन्तर्गत निरसा मध्य पंचायत के पाथरचट्टी में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु 4,38,736.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 80 दिनांक 04.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित शौचालय निर्माण की योजना प्राक्किलत राशि 4,38,736.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मित से लिया गया तथा विचारार्थ / स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(iv) निरसा एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड के 24 पेयजल विहिन विद्यालयों में ड्रिल्ड नलकूप का अधिष्ठापन — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद के द्वारा दिनांक 10.07.2018 को संपन्न दिशा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निरसा एवं गोविन्दपुर प्रखंड अन्तर्गत 24 पेयजल विहिन विद्यालयों में ड्रिल्ड नलकूप के अधिष्ठापन हेतु 13,63,400.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 98 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा एवं गोविन्दपुर से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित 24 ड्रिल्ड नलकूपों के अधिष्ठापन की योजना प्राक्कलित राशि 13,63,400.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा विचारार्थ / स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(v) जैप–3 कैम्पस गोविन्दपुर में पेयजलापूर्ति योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद के द्वारा जैप–3 कैम्पस गोविन्दपुर में किये गये सफल डीप बोरिंग में पम्प मोटर लगाने एवं पाईप लाईन कार्य हेतु 5,49,077.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है।

प्रस्तावित जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 5,49,077.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मित से लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(vi) नगर निगम क्षेत्र के पेयजल योजनाओं का प्रस्ताव — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद / नगर आयुक्त, नगर निगम, धनबाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के 5 जलापूर्ति योजनाओं का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित योजनायें नगर निगम के बोर्ड से पारित नहीं है।

गोतना निम्नवत है-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	पी०एम०सी०एच० परिसर में जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़िकारण का कार्य	21,56,700.00
2	अधिष्ठान अग्निशाम, धनबाद के कैम्पस में सम्प एवं पम्प की व्यवस्था से संबंधित कार्य	14,65,600.00
3	होटल स्काईलार्क से शक्ति भवन तक 200 एम0एम0 व्यास का पाईप लाईन का विस्तारीकरण का कार्य	11,10,000.00
4	ओजोन प्लाजा से जैन मंदिर शास्त्री नगर तक 100 एम0एम0 व्यास का पाईप लाईन का विस्तारीकरण का कार्य	7,55,200.00
5	गांधी रोड, हल्दी पट्टी, लोहार मोहल्ला धनबाद में नये पाईप लाईन विस्तार का कार्य	79,150.00
	कुलः	55,66,650.00

प्रस्तावित 5 जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 55,66,650.00 रूठ का कार्यान्वयन नगर निगम के बोर्ड से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा विचारार्थ / स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(3) पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-2, धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव -

(i) धनबाद/बिलयापुर/पूर्वी टुण्डी/टुण्डी/तोपचांची एवं बाघमारा प्रखंड के बंद नलकूपों को चालू करने की योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के द्वारा धनबाद/बिलयापुर/पूर्वी टुण्डी/टुण्डी/तोपचांची एवं बाघमारा प्रखंड के प्रति पंचायत 5 अदद बन्द पड़े नलकूपों के पाईपों को बदलकर चालू किये जाने हेतु डी०एम०एफ०टी० निधि से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है तथा कुल 750 नलकूपों की मरम्मति हेतु 77,90,250.00 रू० का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। योजनायें ग्राम सभा से पारित नहीं है।

योजना की विवरणी निम्नवत है –										
क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायतों	प्रति पंचायत 5 अदद	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति					
T	7.0.0	की	सड़े राईजर पाईप के		-					
6.17	. g	संख्या	कारण बंद नलकूपों को							
100		(1091	चालु किये जाने हेतु	p.	-					
			संख्या							
1	धनबाद	· 12	12x5= 60 Nos.	Rs. 10387.00x60= 623220.00	DMFT BLOCK					
2	बलियापुर	23	23x5= 115 Nos.	Rs. 10387.00x115= 1194505.00	DMFT BLOCK					
3	पूर्वी टुण्डी	9	9x5= 45 Nos.	Rs. 10387.00x45= 467415.00	NON DMFT					
4	दुण्डी	17	17x5= 85 Nos.	Rs. 10387.00x85= 882895.00	NON DMFT					
5	तोपचांची	28	28x5= 140 Nos	Rs. 10387.00x140= 1454180.00	6 panchayats in DMFT					
6	बाघमारा	61	61x5= 305 Nos	Rs. 10387.00x140= 3168035.00	DMFT BLOCK					
	कुलः	150	750 Nos.	7790250.00						

पूर्वी दुण्डी एवं दुण्डी प्रखंड डी०एम०एफ०टी० में शामिल नहीं है तथा तोपचांची प्रखंड के छः पंचायत (1) रामाकुण्डा (2) जीतपुर (3) हरिहरपुर (4) गेन्दनवाडीह (5) सिंहदाहा एवं (6) ब्राम्हणडीहा पंचायत ही डी०एम०एफ०टी० मे शामिल हैं।

प्रस्तावित 150 पंचायतों में 48 पंचायत जो डी०एम०एफ०टी० में शामिल नहीं है को छोड़कर 102 पंचायतों के 510 नलकूपों का पाईप बदलने की योजनायें प्राक्किलत राशि 52,97,370.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मित से लिया गया तथा तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(ii) बिलयापुर प्रखंड के ग्राम / पंचायत में पाईप पेयजलापूर्ति योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के द्वारा बिलयापुर प्रखंड के ग्राम/पंचायत में पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 7453.73 लाख रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु प्रबंधकीय समिति / न्यास परिषद से पारित कराने का अनुरोध किया गया है। योजना सभी ग्रामों के ग्राम सभा से पारित नहीं है।

प्रस्तावित जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 7453.73 लाख रू० का कार्यान्वयन संबंधित सभी ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।



(iii) गोपीनाथडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लालपुर फटहा ग्राम तक पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–2, धनबाद के द्वारा धनबाद प्रखंड के गोपीनाथडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लालपुर फटहा ग्राम तक पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य के कार्यान्वयन हेतु 20,38,147 लाख रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित है।

प्रस्तावित जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 20,38,147.00 रू0 का कार्यान्वयन डीoएमoएफoटीo निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने निर्णय लिया गया।

(4) पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल , धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव —

(i) महुदा बाजार ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मति — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा महुदा बाजार ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मति हेतु 2,73,00.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 1376 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित योजना प्राक्कलित राशि 2,73,00.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मित से लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(ii) कुलटांड ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मति — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा कुलटांड ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मति हेतु 1,99,800.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 1727 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित योजना प्राक्कलित राशि 1,99,800.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(5) बिलयापुर प्रखंड के प्रधानखंता अन्तर्गत छाताकुल्ही बस्ती के पास मानव रहित रेलवे फाटक के निकट Sub-way निर्माण — श्री फूलचन्द मंडल, माननीय विधायक, सिन्दरी विधानसभा क्षेत्र के द्वारा प्रस्तावित योजना बिलयापुर प्रखंड के प्रधानखंता अन्तर्गत छाताकुल्ही बस्ती के पास मानव रहित रेलवे फाटक के निकट Sub-way निर्माण योजना की प्राक्किलत राशि 4.14 करोड़ रू० (Sr. Divisional Engineer(Co-od), East Central Railway Dhanbad द्वारा प्रतिवेदित) डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 136 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिलयापुर से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित Sub-way निर्माण की योजना प्राक्कलित राशि 4.14 करोड़ रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय लिया गया तथा विचारार्थ /स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

जिला खनन पदा0 । है.

धनबाद।

उप विकास आयुक्त धनबाद।

उपायुक्ते –सह– अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।

ज्ञापांक- 154 दिनांक- 11/09/2018

ज्ञापांक — धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति के सभी पदाधिकारियों / सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०, धनबाद।





उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में दिनाक 14.09.2018 को न्यु टाउन हॉल, धनबाद में आयोजित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति</u>— पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त—सह— सदस्य सचिव, डी०एम०एफ०टी०, धनबाद द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय विधायक सिन्द्री, माननीय विधायक, धनबाद, अध्यक्ष जिला परिषद, धनबाद, माननीय सांसद प्रतिनिधि, माननीय विधायक प्रतिनिधि, प्रमुखों एवं उप—प्रमुखों, मुखियाओं, उपमुखियाओं तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि डी०एम०एफ०टी० के तहत प्राप्त निधि से प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति एवं शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया है। 12 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया जा रहा है। मैथन डैम के किनारों पर भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें महिलाओं के लिए चेंजींग रूम का भी निर्माण कराया जा रहा है।

बताया गया कि धनबाद जिला में जलापूर्ति की समस्या का समाधान होने के पश्चात् कौन से सेक्टर में कार्य कराया जाना है इसका निर्णय जनप्रतिनिधियों से राय लेकर निर्धारित किया जाएगा।

बताया गया कि वर्तमान में धनबाद जिला में 125 सरकारी चिकित्सकों के स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 70 चिकित्सक कार्यरत हैं जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक उप—स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित है। चिकित्सकों की घोर कमी है। जिला में कुल 141 स्वास्थ्य उप—केन्द्र कार्यरत है। चिकित्सा व्यवस्था के सुदृद्धिकरण हेतु चिकित्सकों के लगभग 55 रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध पर (DMFT के तहत) चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रस्ताव लाया गया है। डी०एम०एफ०टी० के तहत नियुक्त चिकित्सकों से कोलियरी / ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सेवा लिया जायेगा।

गोविन्दपुर प्रखंड में स्वयं सहायता समूह द्वारा जूता / चप्पल का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित जूता / चप्पल को सरकारी विद्यालय के छात्र—छात्राओं को आपूर्ति किये जाने की योजना है। स्वयं सहायता समूहों को Skill Development हेतु कोई प्रशिक्षण केन्द्र भवन धनबाद जिला में नहीं है। जिला के बेरोजगार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक बहुउद्देशीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिलाओं / पुरुषों को सालों भर प्रशिक्षण दिया जायेगा तािक वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए एक बहुउद्देशीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण गोविन्दपुर प्रखंड के जंगलपुर में कराये जाने का प्रस्ताव है।

माननीय विधायक, धनबाद द्वारा बताया गया कि मनोरमनगर में पेयजलापूर्ति हेतु पाईप लाईन नहीं बिछाया गया है। शहर के अन्दर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। निरीक्षण के पश्चात् मनोरमनगर में पाईप लाईन डी०एम०एफ०टी० निधि से बिछाया जाय।

अध्यक्ष जिला परिषद, धनबाद द्वारा बताया गया कि पूर्व में रॉयल्टी का 20 प्रतिशत राशि जिला परिषद, धनबाद को प्राप्त होता था एवं उक्त प्राप्त रॉयल्टी की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाता था जो 1994 के पश्चात् मिलना बंद हो गया है। जिला परिषद, धनबाद के कर्मचारीगण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर किया गया है। मॉग किया गया कि उक्त निधि से 30 प्रतिशत राशि जिला परिषद को दिया जाय।

माननीय विधायक झरिया के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि झरिया क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था माडा के जिम्मे है। वर्तमान में माडा की आर्थिक स्थिति दयनीय है इसलिए डी०एम०एफ०टी० निधि से पाईप जलापूर्ति व्यवस्था बहाल की जाय।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि आवश्यकतानुसार डी०एम०एफ०टी० से राशि नगर निगम, धनबाद के माध्यम माडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

उपस्थित मुखिया, मुरलीडीह, बाघमारा प्रखंड द्वारा बताया गया कि आज भी बहुत सारे पंचायत में पानी की समस्या है। जिन–जिन क्षेत्रों में खनन का कार्य किया गया है वैसे स्थानों का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। वैसे स्थानों का जलस्तर कैसे उपर किया जाय इसपर विचार किया जाना आवश्यक है।



उपायुक्त—सह—अध्यक्ष द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की सराहना करते हुए जलस्तर को उपर करने के संख सुझाव दिया गया कि इसके लिए प्रत्येक घर में रेन वाटर हार्वेस्टींग की योजना तथा प्रत्येक पंचायत एवं गांव मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टींग की योजना लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मुखिया हाथुडीह पंचायत, बाघमारा प्रखंड एवं मुखिया कुसमाटांड पंचायत, बिलयापुर प्रखंड द्वारा यह सुझाव दिया गया कि गाँव के बगल में जो नदी बहता है, नदी के पानी को पाईप लाईन से जोड़कर नज़िश्क के तालाब में नदी के पानी को संरक्षण करने पर गर्मी के दिनों में स्थानीय ग्रामीणों को पानी की कमी से निजात के तालाब में नदी के पानी को संरक्षण करने पर गर्मी के दिनों में प्रचुर पानी का भंडार है अगर उक्त पीट बाटर दिलाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से बंद पड़े खादानों में प्रचुर पानी का भंडार है अगर उक्त पीट बाटर को पाईप लाईन बिछाकर नज़दीक के तालाब में पानी को लाया जाय तो इससे भी गर्मी के दिनों में स्थानीय ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिलाया जा सकता है।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–2, धनबाद को निदेश दिया गया कि संबंधित मुखिया से संपर्क स्थापित कर सर्वप्रथम बाघमारा प्रखंड में एक दो जगह का सर्वे कर प्राक्कलन तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

माननीय विधायक, सिन्दरी द्वारा बताया गया कि धनबाद जिला में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है यह बात सत्य है। हमारे पूर्वज लोगों के द्वारा जो तालाब बनाया गया है वर्तमान में उस तालाब में गाद भर जाने के कारण तालाब में जल संरक्षण की क्षमता काफी कम हो गयी है। सर्वप्रथम वैसे तालाबों को चिन्हित कर तालाब से गाद निकाला जाय।

सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रखंड अन्तर्गत एक—एक बड़ा सरकारी तालाब से गाद निकालने की योजना को ग्राम सभा से पारित कराकर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। उक्त कार्य को लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद द्वारा कराया जायेगा।

मुखिया, कालाडाबर, गोविन्दपुर द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में पाँच चेक डैम निर्मित हैं जिसमें मिट्टी भर जाने के कारण जल संरक्षण क्षमता कम हो गया है। इसकी सफाई कराने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा उप विकास आयुक्त, धनबाद को निदेश दिया गया कि जिले में अवस्थित सभी चेक डैम का जीर्णोद्धार नरेगा से कराया जाय।

मुखिया, टुण्डु ,बाघमारा प्रखंड के द्वारा बताया गया कि टुण्डु स्थित खोदो नदी गर्मी के मौसम में सूख जाता है। वहाँ एक चेक डैम निर्माण करा देने पर पानी गर्मी के दिनों में भी स्थानीय लोगों को उपलब्ध हो सकेगा।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा सभी मुखियागण को निदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित नदी के कौन सी जगह पानी रोक कर चेकडैम निर्माण कराया जा सकता है ताकि गर्मी के दिनों में पानी उपलब्ध रह सके चिन्हित कर लिखित प्रस्ताव डीoएमoएफoटीo कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद से प्राक्कलन तैयार कराया जा सके।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 15.09.2018 को पाथरगड़िया खदान से पाईप लाईन के माध्यम से निकटवर्ती तालाब में पानी पहुँचाने के संबंध में स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार कर उपस्थापित करेंगे। साथ ही उक्त प्राक्कलन में विद्युत अधिष्ठापन का भी प्रस्ताव सम्मिलित करेंगे।

— निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित बड़ा तालाब जहाँ सालों भर पानी उपलब्ध रहता है, उसके बगल में शौचालय निर्माण कराने का प्रस्ताव आम सभा से पारित कराकर मुखियागण उपस्थापित करेंगे।

मुखिया, शिवलीबाड़ी, एग्यारकुण्ड प्रखंड द्वारा बताया गया कि शिवलीबाड़ी में जो जलापूर्ति की जा रही है वह पीने योग्य नहीं है।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब एग्यारकुण्ड मुखिया से संपर्क स्थापित कर गंदा जलापूर्ति की जॉच कर समुचित कार्रवाई करें।



उप विकास आयुक्त —सह— सदस्य सचिव, डी०एम०एफ०टी०, धनबाद द्वारा उपस्थित सदस्यों को ट्रस्ट में अबतक प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय से अवगत कराया गया। जानकारी दी गयी कि धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट को अबतक विभिन्न संस्थानों से रू० 858.872 करोड़ प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त राशि के विरुद्ध मुख्यतः व्यक्तिगत /सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं पर रू० 340.693 करोड़ रू० व्यय किया गया है।

उप विकास आयुक्त —सह— सदस्य सचिव, डी०एम०एफ०टी०, धनबाद द्वारा उपस्थित सदस्यों को आज के बैठक में रखे गये सभी प्रस्तावों से अवगत कराया गया तथा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया —

(1) डी०एम०एफ०टी० अन्तर्गत प्राप्त आवंटन / व्यय तथा व्यय की सम्पुष्टि का प्रस्ताव -

प्राप्त आवंटन एवं व्यय (दिनांक 31.08.2018 तक)

(i) कुल प्राप्त आवंटन (सूद सहित) — 858.872 करोड़

(ii) कार्यान्वयन ऐजेंसी को विमुक्त राशि — 304.693 करोड़

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त आय एवं व्यय की गयी राशि को सम्पुष्ट किया गया।

(2) पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-1, धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव -

(i) गोविन्दपुर/निरसा/एग्यारकुण्ड एवं किलयासोल प्रखंड के बंद नलकूपों को चालू करने की योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद के द्वारा गोविन्दपुर / निरसा/एग्यारकुण्ड एवं किलयासोल प्रखंड के प्रति पंचायत 5 अदद बन्द पड़े नलकूपों के पाईपों को बदलकर चालू किये जाने हेतु डी०एम०एफ०टी० निधि से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है तथा कुल 530 नलकूपों की मरम्मित हेतु 55,05,110.00 रू० का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। योजनायें ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 99 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर/निरसा/एग्यारकुण्ड एवं किलयासोल को ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

योजना की विवरणी निम्नवत है -

योजन	ा की विवरणी निग			0 0
큙 0	प्रखंड का नाम	पंचायतों की	प्रति पंचायत 5 अदद सड़े	प्राक्कलित राशि
1,0	y G G , tri	संख्या	राईजर पाईप के कारण बंद	The state of the s
		(1091	नलकूपों को चालु किये जाने हेतु	
1		9	संख्या	
1	गोविन्दपुर	39	39x5= 195 Nos.	Rs. 10387.00x195= 2025465.00
2	निरसा	27	27x5= 135 Nos.	Rs. 10387.00x135= 1402245.00
2			20x5= 100 Nos.	Rs. 10387.00x100= 1038700.00
3	एग्यारकुण्ड	20		
4	कलियासोल	20	20x5= 100 Nos.	Rs. 10387.00x100= 1038700.00
	कुल:	106	530 Nos.	5505110.00

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित 530 नलकूपों का पाईप बदलने की योजनायें प्राक्कलित राशि 55,05,110.00 रू0 का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डीoएमoएफoटीo निधि से कराने प्रस्ताव पारित किया गया।

(ii) मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद के द्वारा 24 अदद बन्द मिनी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने हेतु तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजनायें ग्राम सभा से पारित नहीं है।

योजना की विवरणी निम्नवत है -

ALOL.	1 47 144(31 1714)4(1 6				
क्र0	योजना का नाम	योजना की स्थिति	लाभान्वित	संचालन संस्था	चालू किये जाने हेतु
		चालू / बंद	आबादी		प्राक्कलित राशि
1	Nayanagar MRPWSS	बंद	460	VWSC	277500.00
2	Madandih MRPWSS	बंद	1050	VWSC	293500.00
3	Kalimati MRPWSS	बंद	1860	VWSC	526600.00

			1560		308100.00
4	Mallikpara MRPWSS	बंद		VWSC	273000.00
5	Bardangal MRPWSS	बंद	1546	VWSC	248300.00
6	Silika MRPWSS	बंद	930	VWSC	219200.00
7	Nero MRPWSS	बंद	624	VWSC	199400.00
8	Rampur MRPWSS	बंद	722	77730	184100.00
9	Machamahul MRPWSS	बंद	1138		
10	Bandrabad MRPWSS	बंद	580		223500.00
11	Shyampur MRPWSS	बंद	720	· · · · · ·	242400.00
12	Khairkiyari MRPWSS	बंद	1550	VWSC	526600.00
13	Baidhnathpur MRPWSS	बंद	690	VWSC	278900.00
14	Kanadih MRPWSS	बंद	810	VWSC	242400.00
15	Filterdhoura MRPWSS	बंद	1220	VWSC	308100.00
16	Kumardhubi MRPWSS	बंद	830		308100.00
17	Kalipahari MRPWSS	बंद	980		526600.00
18	Benagoria MRPWSS	बंद	730		257700.00
19	Benagoria Ravidastola MRPWSS	बंद	640		308100.00
20	Sivlibari North MRPWSS	बंद	1680	VWSC	216900.00
21	Gopalpur MRPWSS	बंद	640	1110	242400.00
22	Guduwa MRPWSS	बंद	1485	Q.	308100.00
23	Mangurdih MRPWSS	बंद	1130	VWSC	526600.00
24	Devli MRPWSS	बंद	1282	VWSC	219200.00
	कुल:		1202	V V V O O	7265300.00

प्रस्तावित 24 जलापूर्ति योजनायें प्राक्कलित राशि 72,65,300.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम समा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(iii) निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत निरसा मध्य पंचायत के पाथरचट्टी में सामुदायिक शौचालय निर्माण — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद के द्वारा निरसा प्रखंड अन्तर्गत निरसा मध्य पंचायत के पाथरचट्टी में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु 4,38,736.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 80 दिनांक 04.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित शौचालय निर्माण की योजना प्राक्कलित राशि 4,38,736.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय न्यास परिषद द्वारा

(iv) निरसा एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड के 24 पेयजल विहिन विद्यालयों में ड्रिल्ड नलकूप का अधिष्ठापन — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनंबाद के द्वारा दिनांक 10.07. 2018 को संपन्न दिशा की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निरसा एवं गोविन्दपुर प्रखंड अन्तर्गत 24 पेयजल विहिन विद्यालयों में ड्रिल्ड नलकूप के अधिष्ठापन हेतु 13,63,400.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 98 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा एवं गोविन्दपुर से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित 24 ड्रिल्ड नलकूपों के अधिष्ठापन की योजना प्राक्किलत राशि 13,63,400.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने संबंधी

(v) जैप-3 कैम्पस गोविन्दपुर में पेयजलापूर्ति योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0−1, धनबाद के द्वारा जैप-3 कैम्पस गोविन्दपुर में किये गये सफल डीप बोरिंग में पम्प मोटर लगाने एवं पाईप लाईन कार्य हेतु 5,49,077.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है।

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मित से प्रस्तावित जलापूर्ति योजना प्राम्कलित राशि 5,49,077.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का प्रस्ताव पारित किया गया।

(vi) नगर निगम क्षेत्र के पेयजल योजनाओं का प्रस्ताव — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद / नगर आयुक्त, नगर निगम, धनबाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के 5 जलापूर्ति योजनाओं का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित योजनायें नगर निगम के बोर्ड से पारित नहीं है। योजना निम्नवत है—

क्रै0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	पी०एम०सी०एच० परिसर में जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़िकारण का कार्य	21,56,700.00
2	अधिष्ठान अग्निशाम, धनबाद के कैम्पस में सम्प एवं पम्प की व्यवस्था से संबंधित कार्य	14,65,600.00
3	होटल स्काईलार्क से शक्ति भवन तक 200 एम0एम0 व्यास का पाईप लाईन का विस्तारीकरण का कार्य	11,10,000.00
4	ओजोन प्लाजा से जैन मंदिर शास्त्री नगर तक 100 एम0एम0 व्यास का पाईप लाईन का विस्तारीकरण का कार्य	7,55,200.00
5	गांधी रोड, हल्दी पट्टी, लोहार मोहल्ला धनबाद में नये पाईप लाईन विस्तार का कार्य	79,150.00
	कुल:	55,66,650.00

प्रस्तावित 5 जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 55,66,650.00 रू० का कार्यान्वयन नगर निगम के बोर्ड से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति लिया गया।

(3) पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-2, धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव -

(i) धनबाद/बिलयापुर/पूर्वी टुण्डी/टुण्डी/तोपचांची एवं बाघमारा प्रखंड के बंद नलकूपों को चालू करने की योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के द्वारा धनबाद/बिलयापुर/पूर्वी टुण्डी/टुण्डी/तोपचांची एवं बाघमारा प्रखंड के प्रति पंचायत 5 अदद बन्द पड़े नलकूपों के पाईपों को बदलकर चालू किये जाने हेतु डी०एम०एफ०टी० निधि से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है तथा कुल 750 नलकूपों की मरम्मित हेतु 77,90,250.00 रू० का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। योजनायें ग्राम सभा से पारित नहीं है।

योजना की विवरणी निम्नवत है –

याजन	गजिना की विवरणा निम्नवत ह –						
क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायतों	प्रति पंचायत 5 अदद सड़े	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति		
	to grant to	की	राईजर पाईप के कारण	. As a series of the series of the	to this is the second		
		संख्या	बंद नलकूपों को चालु	and the second second	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	9 -	· · · .	किये जाने हेतु संख्या				
1	धनबाद	12	12x5= 60 Nos.	Rs. 10387.00x60= 623220.00	DMFT BLOCK		
2	बलियापुर	23	23x5= 115 Nos.	Rs. 10387.00x115= 1194505.00	DMFT BLOCK		
3	पूर्वी टुण्डी	9	9x5= 45 Nos.	Rs. 10387.00x45= 467415.00	NON DMFT		
4	ट्रण्डी	17	17x5= 85 Nos.	Rs. 10387.00x85= 882895.00	NON DMFT		
5	तोपचांची	28	28x5= 140 Nos	Rs. 10387.00x140= 1454180.00	6 panchayats in DMFT		
6	बाघमारा	61	61x5= 305 Nos	Rs. 10387.00x140= 3168035.00	DMFT BLOCK		
	कुलः	150	750 Nos.	7790250.00			

पूर्वी दुण्डी एवं दुण्डी प्रखंड डी०एम०एफ०टी० में शामिल नहीं है तथा तोपचांची प्रखंड के छः पंचायत (1) रामाकुण्डा (2) जीतपुर (3) हरिहरपुर (4) गेन्दनवाडीह (5) सिंहदाहा एवं (6) ब्राम्हणडीहा पंचायत ही डी०एम०एफ०टी० में शामिल हैं।

प्रस्तावित 150 पंचायतों में 48 पंचायत जो डी०एम०एफ०टी० में शामिल नहीं है को छोड़कर शेष 102 पंचायतों के 510 नलकूपों का पाईप बदलने की योजनायें प्राक्कलित राशि 52,97,370.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का प्रस्ताव न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(ii) बिलयापुर प्रखंड के ग्राम / पंचायत में पाईप पेयजलापूर्ति योजना — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के द्वारा बिलयापुर प्रखंड के ग्राम/पंचायत में पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 7453.73 लाख रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु प्रबंधकीय समिति / न्यास परिषद से पारित कराने का अनुरोध किया गया है। योजना सभी ग्रामों के ग्राम सभा से पारित नहीं है।

प्रस्तावित जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 7453.73 लाख रूँ० का कार्यान्वयन संबंधित सभी सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का प्रस्ताव न्यास परिषद् सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(iii) गोपीनाथडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लालपुर फुटहा ग्राम तक पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के द्वारा धनबाद प्रखंड के गोपीनाथडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लालपुर फुटहा ग्राम तक पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य के कार्यान्वयन हेतु 20,38,147 लाख रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित है।

प्रस्तावित जलापूर्ति योजना प्राक्कलित राशि 20,38,147.00 रू० का कार्यान्वयन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का प्रस्ताव न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(4) पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल , धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव —

(i) महुदा बाजार ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मति — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा महुदा बाजार ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मति हेतु 2,73,00.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं ग्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 1376 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेत भेजा गया है।

प्रस्तावित योजना प्राक्कलित राशि 2,73,00.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से

(ii) कुलटांड ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मित — कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा कुलटांड ग्रामीण जलापूर्ति केन्द्र के इलेक्ट्रो—मेकनिकल अवयवों की मरम्मित हेतु 1,99,800.00 रू० का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया तथा डी०एम०एफ०टी० से राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 1727 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाधमारा से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

प्रस्तावित योजना प्राक्कलित राशि 1,99,800.00 रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय सर्वसम्मति से न्यास परिषद द्वारा पारित किया गया।

(5) बिलयापुर प्रखंड के प्रधानखंता अन्तर्गत छाताकुल्ही बस्ती के पास मानव रहित रेलवे फाटक के निकट Sub-way निर्माण — श्री फूलचन्द मंडल, माननीय विधायक, सिन्दरी विधानसभा क्षेत्र के द्वारा प्रस्तावित योजना बिलयापुर प्रखंड के प्रधानखंता अन्तर्गत छाताकुल्ही बस्ती के पास मानव रहित रेलवे फाटक के निकट Sub-way निर्माण योजना की प्राक्कितित राशि 4.14 करोड़ रू० (Sr. Divisional Engineer(Co-od), East Central Railway Dhanbad द्वारा प्रतिवेदित) डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का अनुरोध किया गया है। योजना ग्राम सभा से पारित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय पत्रांक 136 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिलयापुर से ग्राम सभा के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है।

Sub-way निर्माण की योजना प्राक्कलित राशि 4.14 करोड़ रू० का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का प्रस्ताव न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।





(6) प्रबंधकीय समिति से पारित घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव—



(क) दिनाक 16.08.2017 को संपन्न प्रबंधकीय समिति में पारित प्रस्ताव

(i) निरसा प्रखंड को ओ०डी०एफ० करने का प्रस्ताव —

दिनांक 16.08.2017 को संपन्न प्रबंधकीय समिति की बैठक में डी०एम०एफ०टी० की निधि से निरसा प्रखंड को ओ०डी०एफ० करने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से पारित किया गया है तथा इसे स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पारित प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार राशि की विमुक्ति का प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्वसम्मित से पारित किया गया है।

निरसा प्रखंड को ओ०डी०एफ० करने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

(ii) एग्यारकुण्ड प्रखंड को ओ०डी०एफ० करने का प्रस्ताव —

दिनांक 16.08.2017 को संपन्न प्रबंधकीय समिति की बैठक में डी०एम०एफ०टी० की निधि से एग्यारकुण्ड प्रखंड को ओ०डी०एफ० करने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से पारित किया गया है तथा इसे स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पारित प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार राशि की विमुक्ति का प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्वसम्मित से पारित किया गया है।

एग्यारकुण्ड प्रखंड को ओ०डी०एफ० करने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

(ख) दिनाक 11.06.2018 को संपन्न प्रबंधकीय समिति में पारित प्रस्ताव

(i) निरसा, एग्यारकुण्ड, बलियापुर तथा बाघमारा प्रखंड मुख्यालय तथा सार्वजनिक स्थलों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव —

प्रखंड विकास पदाधिकारी, निरसा/एग्यारकुण्ड/बिलयापुर/बाघमारा से प्रखंड मुख्यालय तथा सार्वजनिक स्थलों में सामुदायिक शौचालय निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे संबंधित ग्राम सभा से पारित किया गया है।

योजना की विवरणी निम्नवत है -

पाणग	। प्रा विवरणा निग्निया ए			^	~ ~
क्र0	योजना का नाम	पंचायत का	प्रखंड	प्राक्कलित	अभियुक्ति
		नाम		राशि	1
1	निरसा प्रखण्ड परिसर में सामुदायिक	भमाल	निरसा	3389800.00	पुरूष एवं
Î	शौचालय का निर्माण (पुरूष एवं महिला				महिला के लिए
	के लिए अलग-अलग)				अलग–अलग
2	गोगना स्पोर्टस होस्टल के पास	कालीमाटी	एग्यारकुण्ड	3389800.00	शौचालय
	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण (पुरूष	6			निर्माण हेतु
	एवं महिला के लिए अलग–अलग)		,	10	मानक
3	नवनिर्माणाधीन प्रखण्ड के समिप	गोपालपुर	एग्यारकुण्ड	3389800.00	प्राक्कलन
	सामुदायिक शौचालय का निर्माण (पुरूष			J.	(2X16,94,900)
	एवं महिला के लिए अलग–अलग)				के आधार पर
4	मैथन बोट घाट में सार्वजनिक शौचालय	कालीपहाड़ी	एग्यारकुण्ड	3389800.00	प्राक्कलित
	का निर्माण (पुरूष एवं महिला के लिए	उत्तर			राशि अंकित
- 1	अलग–अलग)				की गई है।
5	बलियापुर प्रखंड परिसार में सामुदायिक	भिखराजपुर	बलियापुर	3389800.00	
57	शौचालय निर्माण (पुरूष एवं महिला के				
	लिए अलग–अलग)			* 1	
6	बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक	लुतीपहाड़ी	बाघमारा	3389800.00	er and a second
	शौचालय निर्माण(पुरूष एवं महिला के				
	लिए अलग–अलग)		n n		
	कुल:		* ,	20338800.00	4

Alg.

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्तावित 6 स्था सामुदायिक शौचालय (पुरूष एवं महिला के लिए अलग—अलग) निर्माण की योजनायें प्राक्किति 2,03,38,800.00 के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित ६ स्थलों पर सामुदायिक शौचालय (पुरूष एवं महिला के लि अलग—अलग) निर्माण की योजनायें प्राक्कलित राशि 2,03,38,800.00 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ii) लोदना, जयरामपुर एवं बरारी क्षेत्र में पीट वाटर के माध्यम से जलापूर्ति योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव—

नगर आयुक्त, नगर निगम, धनबाद का पत्रांक 516 दिनांक 17.04.2018 द्वारा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत लोदना, जयरामपुर एवं बरारी क्षेत्र में कोल पीट वाटर सप्लाई स्कीम के तहत घर—घर जलापूर्ति हेतु राशि की मांग की गयी है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त योजना का प्राक्कलन Jusco Jamshedpur के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि 61.25 करोड़ रू0 है। यह योजना महापौर की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2018 को संपन्न बोर्ड की बैठक में एजेंडा सं0-7 के अंतर्गत पारित है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, धनबाद का पत्रांक 516 दिनांक 17.04.2018 के आलोक में प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त योजना प्राक्कलित राशि 61.25 करोड़ रू० को पारित किया गया तथा इसे न्यास परिषद से घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है।

न्यास परिषद द्वारा प्रस्तावित योजना प्रा० राशि 61.25 लाख रू० की घटनोत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

(iii) पाण्डरकनाली पंचायत में 16 पेयजल योजनाओं की स्वीकृति—

माननीय विधायक, धनबाद श्री राज सिन्हा के अनुशंसा पर धनबाद प्रखंड अंतर्गत पाण्डरकनाली पंचायत के ग्राम सभा से पारित कुल 16 पेयजलापूर्ति योजनायें जिसका प्रस्ताव पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—1, धनबाद से प्राप्त है।

योजना निम्नवत है-

T.	To 11 11 14(1 6-	
-	क्र0 कार्य का नाम	प्रा० राशि
	D.W.&S. Division No.1. Dhanbad	397768.00
2	No.1, Dhanbad	487283.00
3	Division No.1, Dhanbad	397768.00
4	Supplyig and laying of DI pipe from Behind Sanskritik Club Khapra Dhaura to Dilip Hari house under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	397770.00
5	Supplying and laying of DI pipe from Chandani Chowk to Kedar Pandey house under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	397770.00
6	Supplying and laying of DI pipe from Imambara Coke Flant to Panchayat Sachivalay under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	243696.00
7	Supplying and laying of DI Pipe from Kudus Chai Dukan to Neam Dhaura under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	333210.00
8	Supplying and laying of DI Pipe from Botal Paswan Dukan to Kharo Mohalla near Jitendra Saw House under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	487280.00
9	Spplying and laying of DI pipe from New Drip Tweleve Number Jamua Paswan house to Rajendra Paswan House under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	243696.00
10	Supplying and laying of DI pipe from Sashi Paswan house to Man Singh Mohalla via Anganbari under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	243696.00
11	Supplying and laying of DI pipe from Amzad Khan House to Shamshad Khan house under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	243700.00
12	Supplying and laying of DI Pipe from Pappu Taylor Dukan Hari Patti Pandarkanali to Lakhnawi Patti via Ramachandra Singh House under under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	333210.00
13	Dhanbad Di Pipe from Imambara Coke Plant to Upper Dhaura under D.W.& S. Division No.1,	243696.00
14	Supplying and laying of DI Pipe from Opposite Durga Mandir to Brizbhushan Prasad House under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	243696.00
15	Supplying and laying of DI Pipe from New Drip Durga Mandir to Suresh Yadav house under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	517568.00
6	Supplying and laying of DI Pipe from New Drip Near Rama Shankar Srivastav House to Raj Kishore Mali house under D.W.& S. Division No.1, Dhanbad	154181.00
	TOTAL:	5365988.00

प्रबंधकीय समिति द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0–1, धनबाद द्वारा प्रस्तावित सभी 16 योजनायें प्राक्कलित राशि 53,65,988.00 ्र का कार्यान्वयन न्यास परिषद से घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सर्वसम्मति से डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय लिया गया है।

न्यास परिषद द्वारा प्रस्तावित 16 योजनायें प्राक्कलित राशि 53,65,988.00 रू० की स्वीकृति के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(iv) एग्यारकुण्ड प्रखंड अंतर्गत पानी टंकी से गलफरबाड़ी मोड़ तक Shifting of 200 MM dia pipeline (CI) बिछार्ने की योजना के प्राक्कलित राशि की स्वीकृति =

दिनांक 26.03.2017 को संपन्न खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में एग्यारकुण्ड प्रखंड अंतर्गत पानी टंकी से गलफरबाड़ी मोड़ तक Shifting of 200 MM dia pipeline (CI) बिछाने की योजना अनुमानित प्राक्किलत राशि 20.00 लाख रू० हेतु पारित है जबिक योजना की वास्तवित प्राक्किलत राशि 34.70605 लाख है। योजना के कार्यान्वयन हेतु घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में 34.70605 लाख रू0 विमुक्त किया जा चुका है।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से योजना के प्राक्कलन 34.70605 लाख रू० की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

(ग) दिनाक 01.08.2018 को संपन्न प्रबंधकीय समिति में पारित प्रस्ताव

(i) नगर निगम धनबाद से प्राप्त योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव—

नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद से प्राप्त पत्रांक 870 एवं 869 दिनांक 10.07.2018 के माध्यम से दिनांक 14.06.2018 को संपन्न नगर निगम के स्थायी समिति की बैठक के कंडिका 4 एवं दिनांक 11.05.2018 को संपन्न नगर निगम के स्थायी समिति की बैठक के कंडिका 7 में पारित दो जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं0–1, धनबाद के माध्यम से डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने हेत् राशि की अधियाचना की गयी है।

गोलना से संबंधित विवरणी निम्नवत है -

वाण	ना स संबंधरा विवरता । । । । । । ।	तकनीकी स्वीकृत	ऐजेंसी का नाम
क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	,
V.	Supplying and laying of D.I. Pipe from police line ESR to Simaldih	19	पेयजल एवं स्वच्छता
1	Telipara, Dhanbad under D.W & S. Division No.1, Dhanbad	41,04,551.00	प्र0—1, धनबाद
-	Owner and Joying of D.I. Pine from Old Dhanbad Municipal		पेयजल एवं स्वच्छता
2	Corporation office to Bhagyodya Building under D.W. & S. Division	13,74,563.00	प्र0—1, धनबाद
	No.1, Dhanbad	- T ₂	
	कुल:	5479114.00	

प्रबंकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में नगर निगम के स्थायी समिति से पारित प्रस्तावित दोनो जलापूर्ति योजना कुल प्राक्कलित राशि 54,79,114.00 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजनाओं का कार्यान्वयन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने निर्णय लिया गया है।

न्यास परिषद द्वारा २ योजनायें प्रा० राशि 54,79,114.00 रू० की घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(ii) तोपचांची प्रखंड की योजना -

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय सांसद से प्राप्त पत्रांक 346 / 18 दिनांक 04.06.2018, पत्रांक 415 / 18 दिनांक 15.06.2018 एवं पत्रांक 470 / 18 दिनांक 10.07.2018 द्वारा डी०एम०एफ०टी० निधि से तोपचांची प्रखंड के ब्राम्हणडीह' एवं सिंहदाहा पंचायत में पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुशंसा प्राप्त है ।

को जन्म की विवस्ती निम्नवत है -

याजना का विवरणा निर्मावत ह					
<u>क्र</u> 0	योजना का नाम	पंचायत का	प्रखंड	प्राक्कलित	अभियुक्ति
уу		नाम		राशि	
1	ब्राम्हणडीहा पंचायत के ग्राम ब्राम्हणडीहा तेली टोला में	ब्राम्हणडीहा	तोपचांची	607142.00	ग्राम सभा की
·	डीप बोरिंग कर मोटर पम्प 5000 लीटर क्षमता का			- 1974	कार्यवाही
	पी0भी0सी0 टैंक एवं पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति	ą.	-		अप्राप्त
	योजना			, W+	12 11 12



3	ब्राम्हणडीहा पंचायत ग्राम सिधाबाद में हिर मंदिर के पास डीप बोरिंग कर मोटर पम्प 5000 लीटर क्षमता का पी0भी0सी0 टैंक एवं पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति योजना सिंहदाहा पंचायत ग्राम सिरसागढ़ा में डीप बोरिंग कर मोटर पम्प 5000 लीटर क्षमता का पी0भी0सी0 टैंक	बाम्हणडीहा सिंहदाहा	तोपचांची तोपचांची	698246.00 854967.00	ग्राम सभा के कार्यवाही अप्राप्त ग्राम सभी की कार्यवाही प्राप्त
	एवं पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति योजना कुलः			2160355.00	है

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्तावित 3 जलापूर्ति योजनायें प्राक्कलित राशि 21,60,355.00 रू० की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम सभा से पारित कार्यवाही की प्रति प्राप्त होने पर डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय लिया गया है।

न्यास परिषद द्वारा ३ योजनाओं प्राक्कलित राशि २१,६०,३५५.०० रू० की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(७) अन्यान्य –

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था का सुदृद्धिकरण - स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुदृद्धिकरण हेतु चिकित्सकों के लगभग 55 रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध पर (DMFT के तहत) चिकित्सकों की नियुक्ति का

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लगभग 55 रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध पर (DMFT के तहत) चिकित्सकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को पारित किया गया।

गोविन्दपुर प्रखंड के जंगलपुर पंचायत में फुटवियर निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि ग्राम-सभा से पारित है। सामग्री मद कुल (3,35,131+83,780)= 4,18,911.00 का भुगतान डी०एम०एफ०टी० निधि से करने का प्रस्ताव ।

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से फुटवियर निर्माण से संबंधित 4,18,911.00 रू० के विपत्र का भुगतान डी०एम०एफ०टी० निधि से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बहुउद्देशीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव – जिला के अन्दर बेरोजगार महिलाओं / पुरूषों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक बहुउद्देशीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण डीं०एम०एफ०टी० निधि से कराने का प्रस्ताव।

न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से एक बहुउद्देशीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

धनबाद।

उप विकसि आयुक्त,

धनबाद।

उपायुक्त 🗷 संह – अध्यक्ष. डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।

ज्ञापांक-166 दिनांक- 01-10 - 2018

प्रतिलिपि— सभी संबंधित पदाधिकारियों / न्यास परिषद के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ

डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।

Ή

दिनाक 04.12.2018 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही।



थत

धि, यों

H

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

दिनांक 04.12.2018 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम ट्रस्ट के कार्यों, प्राप्त आवंटन / व्यय तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी।

विभिन्न कार्यान्वयन ऐजेंसियों / विभागों से डी०एम०एफ०टी० के तहत योजना से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर योजनावार विचार करते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया —

(1) नगर निगम, धनबाद के लिए सफाई उपस्करों / उपकरणों के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति —

दिनांक 26.03.2017 को न्यास परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में नगर निगम, धनबाद को सफाई उपस्करों / उपकरणों का क्रय Gem Portal के माध्यम से करने हेतु राशि की विमुक्ति की गयी है।

योजना की विवरणी निम्नवत है -

SI.	Items/Description	Qty.	Demand of	Released
	the transfer of the state of th		Amount Rs.	Amount in Rs.
1	Mobile-Toilet Block 10 seater,Per Unit rate Rs. 878954.00	02	17,57,908.00	17,57,908.00
2	Portable Toilet Block Single seater ,Per Unit rate Rs. 27989.00	10	2,79,890.00	2,79,890.00
3	Sawer Suction Machine, Per Unit rate Rs. 2070000.00	02	41,40,000.00	41,40,000.00
4	Twin Bins LTR, Per Unit rate Rs. 11600.00	100	11,60,000.00	11,60,000.00
5	Truck Mounted Sweeping Machine (Roots) (ROOTS RSB4500)Per Unit rate Rs. 5811500.00	03	1,74,34,500.00	1,74,34,500.00
6	Self Propelled Ride on Sweeping Machine, Per Unit rate Rs. 2475000.00	. 02	49,50,000.00	49,50,000.00
	TOTAL:		2,97,22,298.00	2,97,22,298.00

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 1 से 6 पर अंकित उपस्करों / उपकरणों के क्रय हेतु विमुक्त राशि 2,97,22,298.00 के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(2) स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव -

नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर निगम, धनबाद को घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यालय पत्रांक 189 दिनांक 27.10.2018 के द्वारा राशि विमुक्त की गयी है।

योजना की विवरणी निम्नवत है -

वाजना वर्ग विवरना निर्मावरा ह					
क्र0	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृत प्रा० राशि	कुल विमुक्त राशि		
1	बैंक मोड़, धनबाद से कतरास मोड़ झरिया तक LED Street Light का अधिष्टापन	15536323.00	15536323.00		
2	सिटी सेन्टर, धनबाद से मेमको मोड़ धनबाद तक LED Street Light का अधिष्ठापन	24144177.00	24144177.00		
	कुलः	39680500.00	39680500.00		

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित योजना कुल प्राक्कलित राशि 3,96,80,500.00 रू० की धटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना का कार्यान्वयन कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(3) झमाडा, धनबाद की जलापूर्ति व्यवस्था हेतु योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव

नगर निगम, धनबाद के माध्यम से झमाडा, धनबाद की जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू संचालन हेतु प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव।

SI. No.	Name of Place	Name of Work	Amount in Approx
1	DHW, Jamadoba	Supply of Copling Nut bolt rubber bush and others for year 2018-19	9,72,312.00
2.	DHW, Jamadoba	New Making the plate form, 2 Nos outdoor kit jointing for 200 KVA Transformer at 1 MVA power for year 2018-19	1,25,220.00
3.	DHW, Jamadoba	PCC cutting new angle welding and new PCC all complete at 1 MVA power Sub Station 12 Nos. for year 2018-19	8,31,427.00
4.	Jharia SD.	120 HP Pump Set No.2 Making and installation base plate. for year 2018-19	78,000.00
5.	TOPCHANCHI	Filter Bed repairing 6 Nos.	93,50,700.00
		TOTAL:	1,13,57,659.00

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 1 से 5 पर अंकित योजना कुल प्राक्कलित राशि 1,13,57,659.00 रू० की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना का कार्यान्वयन ग्राम सभा/नगर निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव की प्रति प्राप्त होने की शर्त्त पर कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।


(4) नगर निगम, धनबाद के बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक 27.09.2018 तथा विशेष बैठक दिनांक 20.11.2018 में डीoएमoएफoटीo निधि से कार्यान्वयन हेतु पारित योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव —

(क) योजनाओं की विवरणी निम्नवत है—

क्र0	योजना / प्रस्ताव की विवरणी	
1	Consultancy service for Preparation of Datail	प्राक्कलित राशि
	and bridges, complete Land Acquisition Plan including ownership detail all complete as per latest guidelines, Resettlement and Rehabilitation Plan & Forest Diversion Proposal	256.54 Crore
	Dhanbad Nagar Nigam (Vinod Bihari Chock Wasseypur-Bhuli Flyover-Aramor-Matkuria Road including Flyover/ROB,RUB) in Dhanbad District in the state of Jharkhand (Length 3.537KM)	
2	वार्ड नं0 33 हरिपर धौड़ा धनसार हा। क्यूनी री ० ५	
	वार्ड नं0 33 हरिपुर धौड़ा, धनसार झा कॉलोनी, दास पट्टी में पानी आपूर्ति हेतु पाईप लाईन का विस्तार कार्य	22.22000 lakh
3	वार्ड नं0 23 के मुहल्ला लिपिडीह कोलाकुसमा में कोयला नगर की ओर जानेवाली सड़क में पाईप लाईन का विस्तार	8.56400 Lakh
4 .	कला विहार कॉलोनी जारी के जार है	5.00+00 Lakii
5	कला विहार कॉलोनी, रानी रोड भूदा में पाईप लाईन विस्तार वार्ड नं0 23 कोला कामा प्रीकार्य की	5.57900 Lakh
	जनिहत में पाईप लाईन का विस्तान	6.53200 Lakh
6	वार्ड नं0 33 के धनसार के भेरतिकरी	0.00200 Lakn
	वार्ड नं0 33 के धनसार के ओ०सी०पी० धनसार में पाईप लाईन विस्तार कार्य	7.33900 Lakh
	· · · · ·	30 LUMI

प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 1 पर अंकित फ्लाई ऑवार ब्रीज निमार्ण योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संठ 357 दिनांक 03.02.2017 की कंडिका 3(iv) के आलोक में विभाग की प्राक्कित राशि 5.00 करोड. से अधिक होने के कारण संबंधित तकनिकी विभाग को अपने विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 2 से 6 पर अंकित योजना कुल प्राक्कलित राशि 50,23,400.00 रू० की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना का कार्यान्वयन कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।



नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के 1500 महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नगर निगम, धनबाद से प्राप्त है।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी०एम०एफ०टी० निधि से नगर निगम क्षेत्र की महिलाओं को मशीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(5) सिलाई प्रशिक्षण –सह– उत्पादन केन्द्र हेतु सिलाई मशीन क्रय का प्रस्ताव–

टुण्डी, पूर्वी टुण्डी, तोपचांची, बिलयापुर एवं गोविन्दपुर प्रखंड में सिलाई प्रशिक्षण—सह—उत्पादन केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसका संचालन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण —सह—उत्पादन केन्द्र में उपयोग हेतु 300 सिलाई मशीनों (औटोमेटिक/मैनुअल) प्रति प्रखंड के क्रय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी०एम०एफ०टी० निधि से प्रशिक्षण —सह— उत्पादन केन्द्र में उपयोग हेतु 300 सिलाई मशीनों (औटोमेटिक/मैनुअल) प्रति प्रखंड के क्रय की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(6) जूते के छुत्पादन हेतु 5 जूता निर्माण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी०एम०एफ०टी० निधि से जिले के पाँच प्रखंडों में जूता निमार्ण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(7) <u>कस्तूरवा गाँधी बालिका विधालयों में Regular Health Check Up</u> कें लिए NRHM के guidelines के तहत बालिकाओं का Regular Health Check Up तथा real time data feeding mechanism

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी०एम०एफ०टी० निधि से कस्तूरवा गाँधी बालिका विधालयों में Regular Health Check Up कें लिए NRHM के guidelines के तहत बालिकाओं का Regular Health Check Up तथा real time data feeding mechanism की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(8) कस्तूरवा गाँधी बालिका विधालयों में Professional Teachers, IIT/Medical के तैयारी कें लिए आकाक्षा योजना कें तहत Teachers उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी०एम०एफ०टी० निधि से कस्तूरवा गॉधी बालिका विधालयों में Professional Teachers, IIT/Medical के तैयारी कें लिए आकांक्षा योजना कें तहत Teachers उपलब्ध कराने का प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

जिला खनन पदाधिकारी,

धनबाद।

उप विकास आयुक्त,

धनबाद।

उपायुक्ते सह— अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।

ज्ञापांक- 22 ५ दिनांक- 12/12/2018

प्रतिलिपि— सभी संबंधित पदाधिकारियों / प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।



दिनाक 28.02.2019 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

दिनांक 28.02.2019 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम ट्रस्ट के कार्यों, प्राप्त आवंटन/व्यय तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी।

विभिन्न कार्यान्वयन ऐजेंसियों / विभागों से डी०एम०एफ०टी० के तहत योजना से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर योजनावार विचार करते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया —

(1) नगर निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.2017, 20.11.2018 तथा 16.02.2019 की बैठक में पारित डी0एम0एफ0टी0 निधि से कार्यान्वयन हेत् योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव —

नगर निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.2017, 20.11.2018 तथा 16.02.2019 की बैठक में पारित डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं में सर्वसम्मित से निम्नांकित योजनाओं पर विचार किया गया—

14741	Office white			
क्र0	योजना / प्रस्ताव की विवरणी	प्राक्कलित राशि		
- 1	डी०एम०एफ०टी० निधि से शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित प्रस्ताव			
1	धनबाद शहरी जलापूर्ति के लिए NJS द्वारा तैयार DPR जिसकी कुल लागत 560	560.118 करोड़		
	करोड़ है की स्वीकृति का प्रस्ताव			
2	धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के लिए Aqua Pumps infra Venture Pvt. Ltd द्वारा	145.45 करोड़		
	तैयार DPR जिसकी कुल लागत 360 करोड़ है में से पीट वाटर शोधन एवं वितरण			
	के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी कुल लागत रू० 145.45 करोड़ को			
	डी०एम०एफ०टी० मद से स्वीकृति का प्रस्ताव			
3	Supplying and Laying of 100 mm Dia-K-7 Pipe from Bhuli More to Gaddi Mohalla Under	19.92 लाख		
	DW&S Division No.1, Dhanbad			
	डीoएमoएफoटीo निधि से जलापूर्ति हेतु टैंकर क्रय का प्रस्ताव			
4	6 अदद Eicher Pro 5016 Truck Mounted water tanker 9000 लीटर क्षमता का क्रय	1,09,49,970.00		
	करने का प्रस्ताव (मूल्य 18,24,995.00 / प्रति टैंकर)	=		
5	6 अदद Eicher Pro 1090 Truck Mounted water tanker 6000 लीटर क्षमता का क्रय	70,07,406.00		
= 10 1	करने का प्रस्ताव (मूल्य 11,67,901.00 / प्रति टैंकर)			
	डी0एम0एफ0टी0 निधि से शहरी आजीविका मिशन के तहत प्राप्त प्र	स्ताव		
6	शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत डी०एम०एफ०टी० निधि से 15 करोड़ रूपये	15.00 Crore		
	की स्वीकृति पर विचार।			
	द्रोच अपशिष्ट पबंधन के तहत ऐजेंसी को भगतान का प्रस्ताव			
7	ने मु अपरिष्ट एकंपन के तहत चयनित ऐजेन्सी को किये जाने वाले कार्यों का	N/A		
,	धनबाद नगर निगम के अंशदान का भुगतान डी०एम०एफ०टी० निधि से करने पर			
	विचार			
	•			

प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद से स्वीकृति के प्रत्याशा में क्रमांक 1 से 2 पर अंकित शहरी जलापूर्ति योजनाओं कुल प्राक्कलित राशि 705.568 करोड़ का कार्यान्वयन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा तथा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0 357 दिनांक 03.02.2017 की कंडिका 3(iv) के आलोक में योजना की प्राक्कलित राशि 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण संबंधित तकनिकी विभाग को अपने विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 3 पर अंकित जलापूर्ति योजना कुल प्राक्कलित राशि 19.92 लाख रू० का कार्यान्वयन नगर निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव की प्रति प्राप्त होने की शर्त्त पर कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी । प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद से स्वीकृति के प्रत्याशा में क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित जलापूर्ति हेतु टैंकर क्रय की योजना कुल अनुमानित लागत राशि 1,79,57,376.00 रू० का व्यय डी०एम०एफ०टी० निधि से करने की स्वीकृति सर्वसम्मिति से प्रदान किया गया।

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 6 पर अंकित योजना शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत डी०एम०एफ०टी० निधि से 15 करोड़ रू० की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 7 पर अंकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत चयनित ऐजेन्सी को किये जाने वाले कार्यों का धनबाद नगर निगम के अंशदान का भुगतान डी०एम०एफ०टी० निधि से करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

(2) स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूर्ति / शौचालय निर्माण योजना का कार्य डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव —

दिनांक 24.01.2019 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में डी०एम०एफ०टी० निधि से कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूर्ति / शौचालय निर्माण योजना का कार्य डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने का प्रस्ताव —

योजना की विवरणी निम्नवत है-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction of Residual Work for Water Supply and Sanitary works in CHC at Pandra, Nirsa Block, Dhanbad district.	49,60,132.00
2	Construction of Residual Work for Water Supply and Sanitary works in CHC at Dubrajpur, Tundi Block, Dhanbad district.	49,60,132.00
3	Construction of Ladies & Gents Toilet Community Health Centre (In Side) Campus (SAHUBAHIYAR) at Topchanchi Block, District- Dhanbad.	26,64,450.00
4	Water Supply & Deep Boring Community Health Centre Jharia, Jorapokhar (CHASNALLA) Under Jharia Block, Distt- Dhanbad	5,38,650.00
5	Construction of Deep Boring, Ladies & Gents Toilet with Electric and Sanitary work Community Health Centre at Govindpur Block, District-Dhanbad	21,53,500.00
	TOTAL:	1,52,76,864.00

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमांक 1 से 5 पर अंकित स्वास्थ्य /उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूर्ति /शौचालय निर्माण योजना कुल प्राक्कलित 1,52,76,864.00 रू० का कार्यान्वयन डी.एम. एफ.टी. निधि से कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

(3) <u>डी.एम.एफ.</u>टी. निधि से जिले के सहिया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव —

झारखण्ड, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची से प्राप्त पत्रांक 239 दिनांक 15.12.2018 के द्वारा से सहिया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी.एम.एफ.टी. निधि से जिले के सिहया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(4) <u>डी०एम०एफ०टी० निधि से सदर अस्पताल,धनबाद/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों/</u> उपस्करों/ सामग्रियों के क्रय का प्रस्ताव –

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़िकरण हेतु डी०एम०एफ०टी० निधि से सदर अस्पताल, धनबाद/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणें/ उपस्करों/सामग्रियों के क्रय संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी.एम.एफ.टी. निधि से सदर अस्पताल,धनबाद / स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों / उपस्करों / सामग्रियों के क्रय का निर्णय लिया गया।



(5) <u>डी.एम.एफ.टी. निधि से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10 यूनिट अण्डा उत्पादन प्लान्ट लगाने</u> की स्वीकृति का प्रस्ताव –

प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक 173 दिनांक 02.02.2019 द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 महिलाओं को 10 यूनिट अण्डा उत्पादन प्लांट प्रति यूनिट 2,70,000.00 की दर से लगाने की स्वीकृति एवं सन्निहित राशि देने का अनुरोध किया गया है।

न्यास परिषद से घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रबंधकीय समिति द्वारा डी०एम०एफ०टी० निधि से 10 यूनिट अण्डा उत्पादन प्लांट लगाने की कुल लागत राशि रू० (2,70,000.00 x 10) = 27,00,000.00 रू० की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(6) तोपचांची प्रखंड के 9 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव-

दिनांक 11.06.2018 को आयोजित डी०एम०एफ०टी० के प्रबंधकीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं०–2, धनबाद से ग्राम सभा से पारित सिंहदाहा पंचायत के कुल 9 जलापूर्ति योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त है।

विवर	गी निम्नवत है–	प्राक्किलत राशि	अभ्युक्ति ।
क्र0	योजना का नाम	(लाख में)	3
		7.35093	-
1	सिहदाहा में उ०म०वि० में पेयजलापूर्ति हेतु व्यवस्था।	13.99985	
2	पाथलचपड़ा में पाण्डेय टोला एवं आदिवासी टोला में पेयजलापूर्ति	13.33300	
-	गोतना का कार्य।	13.81862	
3	चिंगताहा तसईतांड टोला में जलापर्ति योजना कार्य।	14.03667	
4	के रेरीन जमार्ग गाम में दीप बोरिंग कर पेयजलापति कीय।		1in
5	नोहलीडीह, मोहली टोला, पाण्डेय टोला में डीप बोरिंग कर पेयजलापूर्ति	13.93561	
3	भीनम् का कार्य।	10,10700	
6	ो के किन होता में हीए बोरिंग कर पेयजलापति योजना काय।	12.42763	
7	सिगदाहा मैरा टोला, तेली टोला, एवं दास टोला में डीप बोरिंग कर	14.03628	
'	जन्मार्ति कार्य।		
	िक्याना नान्य में हीप बोरिंग कर जलापति कार्य।	13.59018	
8	सिंगदाहा में पाण्डेयडीह, विश्वकर्मा टोला एवं यादव टोला में डीप	13.76289	
9	बोरिंग कर जलापूर्ति कार्य।		
		116.95866	
	कुल:		•

न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से तोपचांची प्रखंड के सिहदाहा पंचायत के ग्राम सभा से पारित प्रस्तावित 9 जलापूर्ति योजनायें कुल प्राक्कलित राशि 116.95866 लाख रू० का कार्यान्यवन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय लिया गया।

(7) <u>तोपचांची प्रखंड के ब्राम्हणडीहा पंचायत के 9 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति का</u> प्रस्ताव—

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0—2, धनबाद के पत्रांक— 187 दिनांक 23.02. 2019 द्वारा ग्राम सभा से पारित ब्राम्हणडीहा पंचायत के 9 जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने का प्रस्ताव प्राप्त है।

विवरणी निम्नवत है-

. 3	क्र0	योजना का नाम	प्रा० राशि
	1	Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandiha, village- Moradih, Topchanchi Block under D.W.&.S. Div. No. 2, Dhanbad.	(लाख में) 12.49120

	1		٦
1		×	o,
1		N	_
1	V	Ž	/
1			1

2	Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandiha, village- Napaidih (Niche Tola), Topchanchi Block under D.W.&.S. Div. No. 2, Dhanbad.	12.71399
3	Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandina, village- Napaidih (Uper Tola), Topchanchi Block under	12.85507
4	D.W.&.S. Div. No. 2, Dhanbad. Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandiha, village- Sidhabad (Harijan Tola), Topchanchi Block under	12.46231
5	D.W.&.S. Div. No. 2, Dhanbad. Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat Brahamandiha, village- Sidhabad (Niche Rabidas Tola), Topchanchi Block	13.94863
6	under D.W.&.S. Div. No. 2, Dhanbad. Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandiha, village- Kotaldih, Topchanchi Block under D.W.&.S. Div. No.	13.07512
7	2, Dhanbad. Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandiha, village- Ashansingha (Kewat Tola), Topchanchi Block under	14.98797
8	D.W.&.S. Div. No. 2, Dhanbad. Construction of 200x150 mm. dia & 150 mtr. deep HYDT. Installation of submersible Motor Pump, construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution construction of 6000 ltr. capacity 6.0 mtr. staging RCC Water Tank-cum-Operator Room & Distribution pipeline in Panchayat- Brahamandiha, village- Ashansingha (singh Tell & GosaiTola), Topchanchi	14.11349
9	Block under D.W.&.S. DIV. No. 2, Dilandad.	13.14038
4	2, Dhanbad.	119.78816
 	TOTAL:	8
- 1		

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मित से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में तोपचांची प्रखंड के ब्राम्हणडीहा पंचायत के ग्राम सभा से पारित प्रस्तावित 9 जलापूर्ति योजनायें कुल प्राक्कलित राशि 119.78816 लाख रू० का कार्यान्यवन डी०एम०एफ०टी० निधि से कराने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

जिला खनन पदाधिकारी,

धनबाद ।

उप विकास आयुक्त,

धनबाद।

उपायुक्त — सह— अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।

ज्ञापांक- 46 दिनांक- 02/03/2019

प्रतिलिपि— सभी संबंधित पदाधिकारियों / प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

> उपायुक्त अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०,धनबाद।

List of Directly Affected Village's

	,
Block	Panchayats
	Bagdaha
	Bagra
	Bahiyardih
	Bansjora
	Barora
	Behrakudar
	Bhimkanali
	Bowakala North
	Bowakala South
	Chhatrutand
	Chotanagri
	Daludih
	Darida
	Dharmabandh
	Dhawachita
	Dumra North
	Dumra South Fularitand
	Gobindadih
	Harina
	Hathudih
$\boldsymbol{\sigma}$	Jamua
ara	Jamuatand
_	Jhijhipahari Kanchanpur
σ	Kandra
	Kapuria
_	Keshargarah
_	Khanudih
	Kharkhari
<u> </u>	Kumarjori
bn	Lohopitti Lutipahari
=	Madhuban
σ	Maheshpur-1
∞	Maheshpur-2
ш	Mahuda
	Malkera North
	Malkera South
	Mandra Matigarah
	Mohlidih
	Muraidhi
	Nadkhurki
	Nagrikala
	Nagrikala North
	Nichitpur-1
	Nichitpur-2
	Padugora Pathargaria
	Phatamahul
	Raghunathpur
	Rajganj West
	Ranguni
	Singrah
	Sinidih
	Targa
	Telmocho Tetulia-1
	Tetulia-2
	Tundu

e's	
Block	Panchayats
Diock	Alakhdiha
	Amjhar
	7,
	Amtal
	Baghmara
	Baliapur East
	Baliapur West
	Baradaha
_	Bhikhrajpur
Indi	Birsinghpur
	Chandkuiya
<u> </u>	
ש	Chhatatanr
	Dolawar
. _	Dudhiya
	Gharbar
ص	Jagdish
\Box	Karmatand
	Kusmatand
	Mukunda
	Palani
	Parasbania
	Pradhankhanta
	Sindurpur
	Surunga
	Aralgaria
\Box	Bardubhi
nbad	Damodarpur
(0	Dhokhra
<u> </u>	Dubrajdih
	Gopinathdih
ש	
	Pandarkanali Pandarkanali South
\rightarrow	Petia
	Samsikhra
	Siyalgudri
L	Amkura
	Brindavanpur
	Chanch
	Dumakunda South
	Dumarkunda North
∇	Egarkund North
\simeq	Egarkund South
\succeq	Gopalpur
\supset	Gopinath pur
kun	Jograt
_	Kalimati
σ	Kalipahari East
b	Kalipahari North
	Kalipahari South
ш	Merdha
	Panchmohali Siwalihari Fact
	Siwalibari East Siwalibari Middle
	Siwalibari North
	Siwalibari south
	Siwalibati Soutil

ock	Panchayats
	Amarpur
	Asanbani
	A somb = :: 2
	Asanbani 2
	Bagsuma
	Bara Nawatand
	Bara Pichari
	Bariyo
	Barwa East
	Bhitiya
	Birajpur
	эн ајран
	Danishana Banssa
	Damkara Barwa
	Dewli
	Gortopa
_	Govindpur East
_	Govindpur W-
_	Jamdiha
2	Jangalpur
_	Jaynagar
ر	
_	Jialgora
	Kaladar
>	Kanchanpur
-	
J	Karmatand
\Box	Kharani
	Kualbara
	Mahubani-1
	Mahubani-2
	Maricho
	Matiyala
	Moranga
	Murgabani
	Nagar kiyari
	Panduki
	Parasi
	Pathuria
	Ratanpur
	Sahraj
	Tilaiya
	Tilawani
	Udaypur
	Ankhdwara
	Asanliya
	Banda East
	Banda West
=	Bara Ambona
	Benagaria(Chi)
_	Bhurkundabari
Λ	Dhobari
<u> </u>	Dumaria
σ	Elakendra
_	Jamdehi
_	Jamkudar
	Kaliasol
σ	
7	Ledaharia
	Patherkuan
	Patlabari
	Pindrahat
	Salukachpara
	Susunliya
	Urma

Block

Panchayats

Block	Panchayats
	Baijna
	Belkupa
	Benagoriya
	(Ni)
	Bhagabandh
	Bhamal
	Birsinghpur
	Dewiyana
	Ghaghra
	Hariyajam
	Khushari
\Box	
, 0	Madandih
S	Madanpur
	Madma
.=	Nirsa Middle
	Nirsa North
	Nirsa South
	Palarpur
	Pandra East
	Pandra West
	Pithakyari
	Ramkanali
	Rangamatiya
	Sasanberia
	Shyampur
	Sijua
	Sonbad
	Upchuriya
_	Ramakunda
20	Jeetpur
_ <u>اع</u>	hariharpur
اجّ	Gendwadih
do	Sighdaha
Ĕ	Brahmandiha

List of Indirectly Affected Village

Block	Panchayats
Topchanchi	Bhuiya Chitro
	Bishanpur
	Chaita
	Chitarpur
	Dhangi
	Dumdumi
	Ghunghasa
	Gomo North
	Gomo South
	Khariyo
	Khesmi
	Korkota
	Ledatand
	Lokbad
	Madaidih
	Matari
	Nero
	Pawapur
	Pradhankhanta
	Sirampur
	Tantri
	Topchanchi
Purvi Tundi	Chururiya
	Latani
	Mairanawatand
	Mohlidih
	Pandra Bejra
	Raghunathpur
	Rampur
	Rupan
	Ukma

Block	Panchayats
	Barwatand
	Begnariya
	Jatakhuti
	Jeetpur
	Kadaiya
	Kamardih
	Katnia
d.	Kolhar
Tundi	Lachuraydih
	Lukaia
	Machiyara
	Maniyadih
	Phatehpur
	Purnadih
	Rajabhitha
	Ratanpur
	Tundi